अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.1 (पैरा 1.2.1 का संदर्भ लें)

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय

1. उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, जम्मू
2. उत्तरी हिमालयी क्षेत्र, धर्मशाला
3. उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, चंडीगढ़
4. उत्तरांचल क्षेत्र, देहरादून
5. उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ
6. पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर
7. मध्य-पूर्वी क्षेत्र, पटना
8. पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
9. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, गोवाहाटी
10. पश्चिम मध्य क्षेत्र, अहमदाबाद
11. मध्य क्षेत्र, नागपुर
12. उत्तर मध्य क्षेत्र, भोपाल
13. उत्तर मध्य रायपुर
14. दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर
15. दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद
16. दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, बैंगलोर
17. दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र, चैन्नई
18. केरल क्षेत्र, त्रिवेंद्रम

अनुलग्नक 2.1 (पैरा 2.1 का संदर्भ लें)

भारत में ब्लॉक/मंडलों/तालुकों का वर्गीकरण (2017)

क्र.सं.	राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	मूल्यांकित की गई इकाईयों की कुल संख्या	सुरक्षित		अर्ध संकटपूर्ण		संकटपूर्ण		अति-दोहित		खारा	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
					राज्य							
1	आंध्र प्रदेश	670	501	75	60	9	24	4	45	7	40	6
2	अरूणाचल प्रदेश	11	11	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	28	28	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	534	432	81	72	13	18	3	12	2	0	0
5	छत्तीसगढ़	146	122	84	22	15	2	1	0	0	0	0
6	दिल्ली	34	3	9	7	21	2	6	22	65	0	0
7	गोवा	12	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	248	194	78	11	4	5	2	25	10	13	5
9	हरियाणा	128	26	20	21	16	3	2	78	61	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	8	3	38	1	13	0	0	4	50	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	22	22	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12	झारखंड	260	245	94	10	4	2	1	3	1	0	0
13	कर्नाटक	176	97	55	26	15	8	5	45	26	0	0
14	केरल	152	129	78	30	20	2	1	1	1	0	0
15	मध्य प्रदेश	313	240	77	44	14	7	2	22	7	0	0
16	महाराष्ट्र	353	271	77	61	17	9	3	11	3	1	0
17	मणिपुर	9	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मेघालय	11	11	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	26	26	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	11	11	100	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ओडिशा	314	303	96	5	2	0	0	0	0	6	2
22	पंजाब	138	22	16	5	4	2	1	109	79	0	0
23	राजस्थान	295	45	15	29	10	33	11	185	63	3	1
24	सिक्किम	4	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तमिल नाडु	1,166	427	37	163	14	79	7	462	40	35	3
26	तेलंगाना	584	278	48	169	29	67	11	70	12	0	0
27	त्रिपुरा	59	59	100	0	0	0	0	0	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश*	830	540	65	151	18	48	6	91	11	0	0

क्र.सं.	राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	मूल्यांकित की गई इकाईयों की कुल संख्या	सुरक्षित		अर्ध संकटपूर्ण		संकटपूर्ण		अति-दोहित		खारा	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
29	उत्तराखंड	18	13	72	5	28	0	0	0	0	0	0
30	पश्चिम बंगाल**	268	191	71	76	28	1	0	0	0	0	0
	कुल	**6,828**	**4,265**	**62**	**968**	**14**	**312**	**5**	**1,158**	**17**	**98**	**1**
					केंद्र शासित प्रदेश							
1	अंडमान एवं निकोबार	36	35	97	0	0	0	0	0	0	1	3
2	चंडीगढ़											
3	दादर एवं नगर हवेली	1	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
4	दमन एवं दीव	2	1	50	0	0	1	50	0	0	0	0
5	लक्षद्वीप	9	6	67	3	33	0	0	0	0	0	0
6	पुडुचेरी	4	2	50	0	0	0	0	1	25	1	25
	कुल केन्द्र शासित प्रदेश	53	45	85	4	8	1	2	1	2	2	4
	कुल योग	**6,881**	**4,310**	**63**	**972**	**14**	**313**	**5**	**1,186**	**17**	**100**	**1**

ब्लॉक - बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश;

तालुका - कर्नाटक, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र; **मण्डल**-आंध्र प्रदेश, तेलंगाना; **जिले (घाटी)** - अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड; **द्वीप** - लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप; **फिरका** - तमिलनाडु; **क्षेत्र**-पुडुचेरी

केन्द्र शासित प्रदेश- चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव; **तहसील** - एन.सी.टी. दिल्ली

*उत्तर प्रदेशः यहां कुल 820 ब्लॉक और दस शहर है।

**2013 तक पश्चिम बंगाल राज्य हेतु भूजल संसाधन आंकलन पर विचार किया गया है।

अनुलग्नक 2.2 (पैरा 2.2 का संदर्भ लें)

भारत के भूजल के राज्यवार स्रोत, 2017 (बिलियन क्यूबिक मीटर में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भूजल रिचार्ज मानसून सत्र/ गैर मानसून सत्र				कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज	कुल प्राकृतिक रिचार्ज	वार्षिक निकालने योग्य भूजल संसाधान	सिंचाई	वर्तमान वार्षिक भूजल निर्गमन			घरेलू उपयोग के लिए 2025 तक दिया गया भूजल	भविष्य के उपयोग के लिए नेट भूजल	भूजल निगर्मन का चरण (प्रतिशत में)
		बारिश से रिचार्ज	अन्य स्रोतों से रिचार्ज	बारिश से रिचार्ज	अन्य स्रोतों से रिचार्ज					औद्योगिक	घरेलू	कुल			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	राज्य														
1	आंध्रप्रदेश	9.96	5.62	1.21	4.42	21.22	1.07	20.15	7.85	0.14	0.90	8.90	1.48	12.31	44.15
2	अरूणाचल प्रदेश	1.89	0.18	0.95	0.01	3.02	0.36	2.67	0	0	0.01	0.01	0.03	2.64	0.28
3	असम	20.22	0.43	7.28	0.74	28.67	4.42	214.26	1.97	0.06	0.69	2.73	0.79	21.43	11.25
4	बिहार	19.83	3.95	3.14	4.50	31.41	2.43	28.99	10.78	0.66	1.83	13.26	1.83	15.78	45.76
5	छत्तीसगढ़	7.82	1.86	0.76	1.64	11.57	1	10.57	3.98	0.05	0.67	4.70	0.79	5.76	44.43
6	दिल्ली	0.13	0.06	0.03	0.11	0.32	0.02	0.30	0.09	0.02	0.24	0.36	0.29	0.02	119.61
7	गोवा	0.19	0.03	0.01	0.05	0.27	0.11	0.16	0.02	*	0.03	0.05	0.04	0.07	33.50
8	गुजरात	15.95	3.40	0	3.02	22.37	1.12	21.25	12.84	0.11	0.63	13.58	0.90	7.98	63.89
9	हरियाणा	3.56	2.55	1.03	3.00	10.15	1.01	9.13	11.53	0.34	0.63	12.50	0.72	0.87	136.91
10	हिमाचल प्रदेश	0.34	0.02	0.11	0.04	0.51	0.05	0.46	0.20	0	0.19	0.39	0.34	0.16	86.37
11	जम्मू एवं कश्मीर	1.00	0.50	0.88	0.51	2.89	0.29	2.60	0.20	0.07	0.50	0.76	0.50	1.84	29.47
12	झारखंड	5.25	0.13	0.41	0.42	6.21	0.52	5.69	0.80	0.22	0.56	1.58	0.56	4.13	27.73
13	कर्नाटक	6.59	4.36	2.67	3.22	16.84	2.05	14.79	9.39	*	0.95	10.34	1.14	5.41	69.87

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भूजल रिचार्ज मानसून सत्र/ गैर मानसून सत्र				कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज	कुल प्राकृतिक रिचार्ज	वार्षिक निकालने योग्य भूजल संसाधान	सिंचाई	वर्तमान वार्षिक भूजल निर्गमन			घरेलू उपयोग के लिए 2025 तक दिया गया भूजल	भविष्य के उपयोग के लिए नेट भूजल	भूजल निगर्मन का चरण (प्रतिशत में)
		बारिश से रिचार्ज	अन्य स्रोतों से रिचार्ज	बारिश से रिचार्ज	अन्य स्रोतों से रिचार्ज					औद्योगिक	घरेलू	कुल			
14	केरल	3.91	0.04	0.68	1.13	5.77	0.56	5.21	1.22	0.01	1.44	2.67	1.57	2.41	51.27
15	मध्य प्रदेश	27.10	1.51	0.82	6.99	36.42	1.95	34.47	17.43	0.22	1.24	18.88	1.72	15.84	54.76
16	महाराष्ट्र	20.59	2.29	0.53	8.23	31.64	1.74	29.90	15.10	0.003	1.22	13.33	2.28	12.91	54.62
17	मणिपुर	0.23	0.01	0.17	0.02	0.43	0.04	0.39	0	0	0	0.01	0.014	0.34	1.44
18	मेघालय	1.37	0.01	0.43	0.02	1.83	0.19	1.64	0.03	0	0.01	0.04	0.02	1.59	2.28
19	मिजोरम	0.16	0	0.05	0	0.21	0.02	0.19	0	0	0.01	0.01	0.01	0.18	3.82
20	नागालैंड	1.65	0.03	0.52	0	2.20	0.22	1.98	0	0	0.02	0.02	0.02	1.96	0.99
21	ओडिशा	10.53	2.34	1.50	2.37	16.74	1.17	15.57	5.28	0.14	1.15	6.57	1.30	8.85	42.18
22	पंजाब	5.54	11.83	1.31	5.25	23.93	2.345	21.58	34.56	0.20	1.01	35.78	1.41	1.09	165.77
23	राजस्थान	9.74	0.78	0.24	2.44	13.21	1.22	11.99	14.85	0	1.92	16.77	2.67	0.88	139.88
24	सिक्किम	5.20	0	0.43	0	5.63	4.11	1.52	0	0	0	0	0.01	1.51	0.06
25	तमिल नाडु	6.67	9.41	1.89	2.26	20.22	2.02	18.20	13.06	0	1.67	14.73	1.85	5.66	80.94
26	तेलंगाना	7.56	1.42	1.88	2.76	13.62	1.25	12.37	7.09	*	1.00	8.09	1.39	4.26	65.45
27	त्रिपुरा	0.80	0.06	0.40	0.26	1.53	1.29	1.24	0.02	0	0.08	0.10	0.11	1.11	7.88
28	उत्तर प्रदेश*	37.73	11.67	1.59	18.93	69.92	4.60	65.32	40.89	*	4.95	45.84	5.96	20.36	70.18
29	उत्तराखंड	1.15	0.93	0.09	0.87	3.04	0.15	2.89	1.30	0.13	0.22	1.64	0.22	1.25	56.83
30	पश्चिम बंगाल**	18.71	1.51	5.26	3.85	29.33	2.77	26.56	10.84	*	1.00	11.84	1.53	14.19	44.60
	कुल राज्य	**251.36**	**66.41**	**36.30**	**77.06**	**431.13**	**39.09**	**392.04**	**221.33**	**2.38**	**24.77**	**248.47**	**31.52**	**172.82**	**63.38**

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भूजल रिचार्ज मानसून सत्र/ गैर मानसून सत्र				कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज	कुल प्राकृतिक रिचार्ज	वार्षिक निकालने योग्य भूजल संसाधान	सिंचाई	वर्तमान वार्षिक भूजल निर्गमन			घरेलू उपयोग के लिए 2025 तक दिया गया भूजल	भविष्य के उपयोग के लिए नेट भूजल	भूजल निगर्मन का चरण (प्रतिशत में)
		बारिश से रिचार्ज	अन्य स्रोतों से रिचार्ज	बारिश से रिचार्ज	अन्य स्रोतों से रिचार्ज					औद्योगिक	घरेलू	कुल			
	केंद्र शासित प्रदेश														
1	अंडमान एवं निकोबार	0.35	0	0.02	0	0.37	0.04	0.33	0	0	0.01	0.01	0.01	0.32	2.74
2	चंडीगढ़	0.02	0.01	0	0.01	0.04	0	0.04	0	*	0.03	0.03	0.03	0	89.00
3	दादर एवं नगर हवेली	0.06	0	0	0.01	0.07	0	0.07	0.01	*	0.01	0.02	0.01	0.04	31.34
4	दमन एवं दीव	0.02	0	0	0	0.02	0	0.02	0.01	0	0	0.01	0	0	61.40
5	लक्षद्वीप	0.01	0	0	0	0.01	0.01	0.004	0	0	0.002	0.002	0	0	65.99
6	पुडुचेरी	0.09	0.07	0.02	0.05	0.23	0.02	0.20	0.11	*	0.04	0.15	0.04	0.05	74.33
	कुल केन्द्र शासित प्रदेश	**0.54**	**0.08**	**0.05**	**0.07**	**0.73**	**0.08**	**0.66**	**0.13**	**0**	**0.10**	**0.23**	**0.10**	**0.43**	**34.51**
	कुल योग	**251.90**	**66.49**	**36.34**	**77.13**	**431.86**	**39.16**	**392.70**	**221.46**	**2.38**	**24.87**	**248.69**	**31.62**	**173.25**	**63.33**

नोट : *गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ, दादर एवं नगर हवेली और पुडुचेरी में औद्योगिक एवं घरेलू मसौदे तैयार नहीं किए गए हैं। **पश्चिम बंगाल राज्य हेतु 2013 का भूजल संसाधन मूल्याकंन लिया गया है।

राष्ट्रीय औसत 63 प्रतिशत से अधिक निष्कर्षण के स्तर वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश।

अनुलग्नक 2.3 (पैरा 2.4 का संदर्भ लें)

सी.जी.डब्ल्यू.बी. के अवलोकन किए जाने वाले कुएं

क्रं.सं.	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	पानी की गुणवत्ता के लिए निगरानी स्टेशनों की संख्या (मार्च 2019 तक)
	राज्य	
1	आंध्र प्रदेश	635
2	अरूणाचल प्रदेश	29
3	असम	389
4	बिहार	729
5	छत्तीसगढ़	935
6	दिल्ली	64
7	गोवा	93
8	गुजरात	620
9	हरियाणा	460
10	हिमाचल प्रदेश	114
11	जम्मू एवं कश्मीर	266
12	झारखंड	472
13	कर्नाटक	1466
14	केरल	364
15	मध्य प्रदेश	1,210
16	महाराष्ट्र	1,719
17	मणिपुर	0
18	मेघालय	52
19	नागालैंड	25
20	ओडिशा	1,278
21	पंजाब	312
22	राजस्थान	703
23	तमिलनाडु	816

क्र.सं.	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	पानी की गुणवत्ता के लिए निगरानी स्टेशनों की संख्या (मार्च 2019 तक)
24	तेलंगाना	469
25	त्रिपुरा	90
26	उत्तर प्रदेश	869
27	उत्तराखंण्ड	203
28	पश्चिम बंगाल	1,301
	केंद्र शासित प्रदेश	
1	अंडमान एवं निकोबार	112
2	चंडीगढ़	16
3	दादर एवं नगर हवेली	18
4	दमन एवं दीव	14
5	पुडुचेरी	8
	कुल	**15,851**

अनुलग्नक 2.4 (पैरा 2.5.1 का संदर्भ लें)

नवंबर 2018 के समय के लिए कुंओं के प्रतिशत का वितरण एवं जल के स्तर का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	निगरानी किए गए कुंओं की सं.	जल स्तर तक गहराई (एम.बी.जी.एल.)		जल स्तर की गहराई को दर्शाती कुंओं की सं. और प्रतिशत (एम.बी.जी.एल.)											
					0-2		2-5		5-10		10-20		20-40		40	
			न्यूनतम	अधिकतम	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपों	102	0.10	6.49	91	89.22	10	9.80	1	1.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	730	0.00	44.27	219	30.00	256	35.07	172	23.6	77	10.55	5	0.68	1	0.14
3	अरूणाचल प्रदेश	10	1.37	7.89	1	10.00	5	50.00	4	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	असम	177	0.16	18.20	64	36.16	92	51.98	17	9.60	4	2.26	0	0.00	0	0.00
5	बिहार	654	0.64	13.50	77	11.77	375	57.34	183	27.98	19	2.91	0	0.00	0	0.00
6	चंडीगढ	8	2.66	32.82	0	0.00	3	37.50	0	0.00	2	25.00	3	37.50	0	0.00
7	छत्तीसगढ़	599	1.12	24.10	19	3.17	365	60.93	191	31.89	20	3.34	4	0.67	0	0.00
8	दादर एवं नागर हवेली	17	1.46	10.78	2	11.76	9	52.94	5	29.41	1	5.88	0	0.00	0	0.00
9	दमन एवं दीव	11	0.55	6.16	5	45.45	4	36.36	2	18.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	दिल्ली	83	1.02	65.00	2	2.41	17	20.48	20	24.10	22	26.51	14	16.87	8	9.64
11	गोवा	30	0.78	13.51	5	16.67	14	46.67	8	26.67	3	10.00	0	0.00	0	0.00
12	गुजरात	755	0.00	60.41	115	15.23	177	23.44	242	32.05	157	20.79	58	7.68	6	0.79
13	हरियाणा	315	0.04	102.00	37	11.75	52	16.51	70	22.22	89	28.25	51	16.19	16	5.08
14	हिमाचल प्रदेश	103	0.31	31.58	30	29.13	36	34.95	19	18.45	14	13.59	4	3.88	0	0.00
15	जम्मू एवं कश्मीर	187	0.27	25.95	38	20.32	103	55.08	35	18.72	8	4.28	3	1.60	0	0.00
16	झारखंड	281	0.64	15.90	21	7.47	145	51.60	107	38.08	8	2.85	0	0.00	0	0.00
17	कर्नाटक	1,380	0.05	30.70	220	15.94	482	34.93	499	36.16	165	11.96	14	1.01	0	0.00
18	केरला	1,462	0.10	33.05	263	17.99	445	30.44	602	41.18	141	9.64	11	0.75	0	0.00
19	मध्य प्रदेश	1,331	0.00	45.62	74	5.56	395	29.68	571	42.90	256	19.23	34	2.55	1	0.08
20	महाराष्ट्र	1,659	0.01	50.80	180	10.85	571	34.42	586	35.32	282	17.00	39	2.35	1	0.06
21	मेघालय	23	0.12	4.73	10	43.48	13	56.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	नागालैंड	3	1.55	3.88	1	33.33	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23	ओडिशा	1,290	0.00	13.69	420	32.56	698	54.11	165	12.79	7	0.54	0	0.00	0	0.00
24	पुडुचेरी	4	1.31	2.85	3	75.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25	पंजाब	261	0.55	43.31	16	6.13	47	18.01	51	19.54	64	24.52	80	30.65	3	1.15

क्रं.सं.	राज्य का नाम	निगरानी किए गए कुंओं की सं.	जल स्तर तक गहराई (एम.बी.जी.एल.)		जल स्तर की गहराई को दर्शाती कुंओं की सं. और प्रतिशत (एम.बी.जी.एल.)											
					0-2		2-5		5-10		10-20		20-40		40	
			न्यूनतम	अधिकतम	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
26	राजस्थान	1,034	0.20	130.20	43	4.16	150	14.51	228	22.05	217	20.99	188	18.18	208	20.12
27	तमिलनाडु	562	0.00	67.40	96	17.08	158	28.11	189	33.63	87	15.48	22	3.91	10	1.78
28	तेलंगाना	567	0.00	99.70	60	10.58	175	30.86	170	29.98	113	19.93	41	7.23	8	1.41
29	त्रिपुरा	21	1.17	6.03	8	38.10	12	57.14	1	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30	उत्तर प्रदेश	737	0.17	40.10	95	12.89	289	39.21	203	27.54	125	16.96	24	3.26	1	0.14
31	उत्तराखंड	47	0.82	58.43	7	14.89	17	36.17	12	25.53	5	10.64	4	8.51	2	4.26
32	पश्चिम बंगाल	722	0.22	32.01	76	10.53	363	50.28	167	23.13	97	13.43	19	2.63	0	0.00
	कुल	**15165**			**2298**	**15.15**	**5481**	**36.14**	**4520**	**29.81**	**1983**	**13.08**	**618**	**4.08**	**265**	**1.7**
	श्रेणी		**0.00**	**130.20**												

अनुलग्नक 2.5 (पैरा 2.5.1 का संदर्भ लें)

माध्य के साथ राज्यवार दशकीय जल स्तर में उतार-चढ़ाव नवंबर (2008 से 2017) और नवंबर 2018

क्रं सं.	राज्य का नाम	आकलन किए गए कुंए	माध्य रेंज				बढ़ोतरी						गिरावट						बढ़ोतरी		गिरावट		कुएं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं	
			बढ़ो.		गिरा.		0-2 मी		2-4 मी		4 मी		0-2 मी		2-4 मी		4 मी							
			निम्न.	अधि.	निम्न.	अधि.	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
1	आंध्र प्रदेश	730	0.01	9.93	0.01	18.37	173	23.7	14	1.9	8	1.1	352	48.2	110	15.1	73	10.0	195	27	535	73	0	0
2	अरूणाचल प्रदेश	10	0.26	0.26	0.1	2.74	1	10.0	0	0.0	0	0.0	8	80.0	1	10.0	0	0.0	1	10	9	90	0	0
3	असम	176	0.05	3.7	0.01	4.29	80	45.5	5	2.8	0	0.0	81	46.0	7	4.0	2	1.1	85	48	90	51	1	1
4	बिहार	638	0.01	6.68	0	8.4	207	32.4	23	3.6	1	0.2	312	48.9	72	11.3	23	3.6	231	36	407	64	0	0
5	चंडीगढ़	8	0.03	0.1	0.63	17.79	3	37.5	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	2	25.0	3	38	5	63	0	0
6	छत्तीसगढ़	513	0.02	9.68	0.02	17.7	86	16.8	21	4.1	9	1.8	289	56.3	92	17.9	16	3.1	116	23	397	77	0	0
7	दादर एवं नागर हवेली	17	0.34	2.73	0.1	5.26	2	11.8	1	5.9	0	0.0	11	64.7	1	5.9	2	11.8	3	18	14	82	0	0
8	दमन एवं दीव	11	0.08	2.99			9	81.8	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	100	0	0	0	0
9	दिल्ली	83	0.05	11.64	0	13.16	19	22.9	1	1.2	3	3.6	23	27.7	20	24.1	17	20.5	23	28	60	72	0	0
10	गोवा	30	0.24	6.49	0.06	7.64	7	23.3	0	0.0	2	6.7	15	50.0	4	13.3	2	6.7	9	30	21	70	0	0
11	गुजरात	752	0.01	7.66	0.02	16.09	191	25.4	64	8.5	34	4.5	232	30.9	128	17.0	103	13.7	289	38	463	62	0	0
12	हरियाणा	305	0.02	15.05	0.01	16.03	90	29.5	12	3.9	6	2.0	109	35.7	51	16.7	37	12.1	108	35	197	65	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	110	0.05	10.49	0.06	13.27	74	67.3	6	5.5	10	9.1	18	16.4	1	0.9	1	0.9	90	82	20	18	0	0

क्रं सं.	राज्य का नाम	आकलन किए गए कुंए	माध्य रेंज				बढ़ोतरी						गिरावट						बढ़ोतरी		गिरावट		कुएं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं	
			बढ़ो.		गिरा.		0-2 मी		2-4 मी		4 मी		0-2 मी		2-4 मी		4 मी							
			निम्न.	अधि.	निम्न.	अधि.	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
14	जम्मू एवं कश्मीर	155	0.02	1.92	0.01	2.93	49	31.6	0	0.0	0	0.0	100	64.5	6	3.9	0	0.0	49	32	106	68	0	0
15	झारखंड	276	0.01	3.28	0.01	4.7	110	39.9	3	1.1	1	0.4	128	46.4	29	10.5	4	1.4	114	41	161	58	1	0
16	कर्नाटक	1,373	0.01	8.33	0.01	19.23	413	30.1	68	5.0	32	2.3	581	42.3	163	11.9	114	8.3	513	37	858	62	2	0
17	केरल	1,452	0.01	11.75	0.01	7.15	527	36.3	42	2.9	11	0.8	831	57.2	37	2.5	3	0.2	580	40	871	60	1	0
18	मध्य प्रदेश	1,329	0.01	14.17	0.01	17.52	298	22.4	47	3.5	34	2.6	588	44.2	221	16.6	137	10.3	379	29	946	71	4	0
19	महाराष्ट्र	1,633	0.01	15.94	0.01	19.43	330	20.2	49	3.0	21	1.3	763	46.7	263	16.1	207	12.7	400	24	1233	76	0	0
20	मेघालय	23	0.03	4.26	0.03	1.66	11	47.8	0	0.0	1	4.3	11	47.8	0	0.0	0	0.0	12	52	11	48	0	0
21	ओडिशा	1,284	0.01	5.3	0	8.72	555	43.2	42	3.3	3	0.2	611	47.6	61	4.8	11	0.9	600	47	683	53	1	0
22	पुडुचेरी	4	0.27	0.66	0.19	0.19	3	75.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	3	75	1	25	0	0
23	पंजाब	249	0.04	4.43	0.04	11.69	56	22.5	9	3.6	1	0.4	94	37.8	37	14.9	52	20.9	66	27	183	73	0	0
24	राजस्थान	618	0.02	17.05	0	17.9	155	25.1	48	7.8	43	7.0	178	28.8	92	14.9	102	16.5	246	40	372	60	0	0
25	तमिलनाडु	550	0.01	14.35	0.03	16.94	166	30.2	52	9.5	37	6.7	161	29.3	77	14.0	57	10.4	255	46	295	54	0	0
26	तेलंगाना	560	0.01	13.6	0.01	17.93	165	29.5	29	5.2	11	2.0	162	28.9	86	15.4	107	19.1	205	37	355	63	0	0
27	त्रिपुरा	21	0.01	0.82	0.1	5.42	14	66.7	0	0.0	0	0.0	6	28.6	0	0.0	1	4.8	14	67	7	33	0	0
28	उत्तर प्रदेश	734	0.01	13.75	0.02	10.89	251	34.2	28	3.8	10	1.4	347	47.3	75	10.2	23	3.1	289	39	445	61	0	0
29	उत्तराखंड	41	0.04	8.64	0.03	8.08	23	56.1	2	4.9	1	2.4	10	24.4	1	2.4	4	9.8	26	63	15	37	0	0
30	पश्चिम बंगाल	702	0.01	8.72	0	14.27	165	23.5	27	3.8	8	1.1	351	50.0	81	11.5	68	9.7	200	28	500	71	2	0
	कुल	**14,387**					**4,233**	**29.4**	**595**	**4.1**	**287**	**2.0**	**6376**	**44.3**	**1,716**	**11.9**	**1,168**	**8.1**	**5,115**	**36**	**9,260**	**64.4**	**12**	**0**

अनुलग्नक 2.6 (पैरा 2.9 का संदर्भ लें)

उन पदों का विवरण जिनके लिए संशोधित आर.आर. को अंतिम रूप नहीं दिया गया

क्रं.सं.	पद	मसौदा आर.आर. मंत्रालय को भेजने की तिथि
1.	अध्यक्ष	06.04.2016
2.	सदस्य	19.04.2017
3.	क्षेत्रीय निदेशक (वैज्ञानिक)	24.04.2017
4.	ग्रुप ए (वैज्ञानिक)	04.01.2017
5.	आर्टिस्ट	04.09.2017
6.	सहायक केमिस्ट	06.04.2016
7.	कार्यालय सर्वेक्षक	06.04.2016
8.	सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (हाइड्रोमेर्टरोलॉजिस्ट)	30.06.2017
9.	सर्वेयर	22.09.2017
10.	ड्राफ्ट्समैन	20.09.2017
11.	फोटोग्राफर ग्रेड II	21.09.2017
12.	पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	14.09.2016
13.	वरिष्ठ व्यक्तिगत सचिव	24.11.2016

अनुलग्नक 3.1 (पैरा 3.1 का संदर्भ लें)

13 स्व-विनियमित राज्यों/केंद्र शासित प्रेदशों में भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनुमति देने हेतु तंत्र

आंध्र प्रदेश

वर्ष 2002 में, आंध्र प्रदेश (जी.ओ.ए.पी.) सरकार ने आंध्र प्रदेश जल भूमि एवं वृक्ष अधिनियम (अधिनियम) अधिनियमित किया था। अधिनियम के तहत आवश्यक रूप से आंध्र प्रदेश सरकार ने (2002) ए.पी. जल भूमि वं वृक्ष प्राधिकरण (**ए.पी.डब्ल्यू.ए.एल.टी.ए.**) का गठन किया। अधिनियम के अनुसार, प्राधिकरण के कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, (क) जल संरक्षण को बढ़ावा देना, (ख) भूजल और सतही जल के दोहन को विनियमित करना, और (ग) प्राकृतिक संसाधनों आदि के संरक्षण के लिए किए जाने वाले विधायी और प्रशासनिक उपायों पर सरकार को सुझाव देना।

भूजल और जल लेखा परीक्षा (जी.डब्ल्यू. एवं डब्ल्यू.ए.डी.) विभाग राज्य में भूजल के आकलन, निगरानी और प्रबंधन से संबंधित मामलों में तकनीकी एजेंसी के रूप में कार्य करता है और औद्योगिक इकाईयों के लिए भूजल निष्कर्षण की अनुमति भी देता है। इन अनुमतियों को व्यवहार्यता रिपोर्ट कहा गया था। हालांकि ए.पी.डब्ल्यू.ए.एल.टी.ए. ने बताया (अक्टूबर 2018) कि वह जी.डब्ल्यू. एंड डब्ल्यू.ए.डी. द्वारा जारी व्यवहार्यता रिपोर्ट से अनभिज्ञ है।

चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन ने "चंडीगढ़ जल आपूर्ति उप-नियम 2011" अधिसूचित किया। उक्त अधिनियम में मई 2016 में संशोधन किया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन/नगर निगम के अधीन कोई पृथक समर्पित विभाग/भूजल प्रबंधन प्रकोष्ठ नहीं था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में तीन सरकारी संस्थाओ द्वारा भूजल के निकासी के संबंध में अनुमति पत्र/अनापति प्रमाण-पत्र जारी किए गए। नगर निगम चंडीगढ़ ने शहरी क्षेत्रों के संबंध में अनुमति पत्र जारी किए, चंडीगढ़ इंजीनियरिंग विभाग (चंडीगढ़ प्रशासन) ने ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में अनुमति पत्र जारी किए और भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने सिंचाई उद्देश्यों के संबंध में अनुमति पत्र जारी किए।

दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.), पर्यावरण विभाग ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली के सभी जिलों को भूजल विनियमन और प्रबंधन के लिए अधिसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित (जुलाई 2010) किया है।

उक्त अधिसूचना में निर्देश प्रदान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, समूह, प्राधिकरण, संघ या संस्थान घरेलू, वाणिज्यक, कृषि और/या औद्योगिक उपयोगों के लिए बोरवेल या ट्यूबवेल (नए के साथ-साथ मौजूदा दोनों और सी.जी.डब्ल्यू.ए. की अनुमति के बिना भूजल निकालने वाले) के माध्यम से भूजल निकालने के लिए अभिप्रेत है, उसे सक्षम प्राधिकारी (अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड या नई दिल्ली नगर निगम जैसी भी स्थिति हो) से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। इस प्रकार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्षिष्ट प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्रीय कार्यलयों में एक आवेदन जमा करके प्राप्त की जानी चाहिए। अधिसूचना में दिल्ली के सभी जिलों में संबंधित जिले के उपायुक्त (राजस्व) की अध्यक्षता में दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, पर्यावरण विभाग, सी.जी.डब्ल्यू.ए. और भूजल विनियमन के क्षेत्र में एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ सलाहकार समिति का गठन किया गया। अनुमति के लिए मामलों की अनुशंसा सक्षम प्राधिकारी के कार्यकारी अभियंता द्वारा आधारभूत तथ्यों के आधार पर सलाहकार समिति को की जानी चाहिए। सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश किए गए मामलों को अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

गोवा

गोवा भूजल विनियमन अधिनियम 2002 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने अधिनियम के उद्देश्य को लागू करने और कार्यन्वित करने के लिए गोवा भूजल प्रकोष्ठ का गठन (मार्च 2003) किया। गोवा भूजल सेल जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) के तत्वाधान में कार्य करता है। मुख्य इंजीनियर (डब्ल्यू.आर.डी.) गोवा भूजल सेल के पदेन अध्यक्ष है। राज्य में भूजल के विनियमन से संबंधित कार्य डब्ल्यू.आर.डी. के दो डिवीजनों के कार्यकारी इंजीनियर को सौंपा गया है, जिनकों उत्तर और दक्षिण गोवा के लिए भूजल अधिकारी (जी.डब्ल्यू.ओ.) के रूप में नामित किया गया है और वे भूजल उपभोक्ताओं के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है।

गोवा के दो जिलों में अधिकारी अभियंता डब्ल्यू.आर.डी. (भूजल अधिकारी) के अधिकार क्षेत्र के तहत संबंधित उप डिवीजन कार्यालयों द्वारा अनुमति/पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होता है। आवेदन की जांच की जाती है और संबंधित सब-डिवीजन के सहायक अभियंता द्वारा कार्य-स्थल का निरीक्षण किया जाता है। विस्तृत रिपोर्ट संबंधित भूजल अधिकारियों (उत्तर और

दक्षिण) को प्रस्तुत की जाती है। उप-डिवीजन कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट को श्रेणी के अनुसार विभाजित किया जाता है और घरेलू/कृषि कुओं के लिए मौजूदा खुले/बोरवेल के पंजीकरण डिवीजन स्तर पर किए गए है। टैंकरों का पंजीकरण डिवीजन स्तर पर जारी किया जाता है, मौजूदा खुले/बोरवेल का वाणिज्यिक उद्देश्य अर्थात् उद्ययोग, आधारभूत संरचना, होटल और वाणिज्यिक के लिए पंजीकरण गोवा भूजल सेल बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। घरेलू/कृषि के लिए खुले कुएं खोदने के लिए डिवीजन स्तर पर और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए जी.जी.डब्ल्यू.सी. बोर्ड को मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश

(क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र माँगने वाले आवेदक को आवश्यक शुल्क और अन्य दस्तावेजों जैसे राजस्व कागजात, साइट योजना, कंपनी के ज्ञापन, पट्टा विलेख, एच.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति, औद्योगिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि के साथ निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा (ख) कार्य-स्थल सत्यापन भूजल संगठन ऊना की अन्य सिफारिश (ग) एच.पी.एस.जी.डब्ल्यू.ए संबंधित कार्यकारी इंजीनियरों और ग्राम पंचायतों/नगर समितियों, जिनके अधिकार क्षेत्र में एन.ओ.सी. का क्षेत्र आता है, को परमिट देने के संबंध में स्थानीय लोगो में कोई आपत्ति है या नहीं पता करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए निर्देश जारी करता है। (घ) एच.पी.स.जी.डब्ल्यू.ए. की उप समिति अपनी बैठक में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में किए गए सभी पहलुओं और सिफारिशों पर चर्चा करती है।

जम्मू और कश्मीर

भूजल निकासी हेतु बोर/टयूबवेल की संस्थापना के लिए पंजीयन प्रमाण-पत्र (आर.सी.) प्रदान करने हेतु आवेदन मुख्य इंजीनियर पी.एच.ई. विभाग के कार्यालय में प्राप्त होता है। मुख्य इंजीनियर इसे अधीक्षण इंजीनियर (एस.ई), हाइड्रोलिक और मैकेनिकल सर्कल को टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ अग्रेषित करता है। एस.ई. हाइड्रोलिक और एस.ई. मैकेनिकल संबंधित सिविल और मैकेनिकल डिवीजन से रिपोर्ट और सिफारिशों की प्राप्ति पर मामले को अपनी रिपोर्ट एवं सिफारिशों के साथ मुख्य इंजीनियर पी.एच.ई. विभाग को पुनः प्रस्तुत करते है। रिपोर्ट और सिफारिश प्राप्त होने पर मुख्य इंजीनियर या तो अस्वीकार कर देता है या उपयोगकर्ता को भूजल की निकासी और दोहन के लिए आर.सी. प्रदान करता है, कुछ शर्तों के तहत जिसके लिए संबंधित डिवीजन के मंडल प्रमुख (कार्यकारी इंजीनियर) द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारी से मांग

उठाना तथा जल उपयोग प्रभारों की वसूली भी कार्यपालक इंजीनियर के उत्तरदायित्वों में से एक है।

कर्नाटक

कर्नाटक भूजल प्राधिकरण भूजल मंजूरी के लिए परियोजना प्रस्तावों को प्राप्त करता है और उनका मूल्यांकन करता है। भूजल निकासी और उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रस्ताव प्राप्त होने पर, जिला भूजल समिति को भेजा जाता है। के.जी.ए. द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में आगे के निर्णय के जिला भूजल समिति की सिफारिशों के साथ प्रस्ताव राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

केरल

राज्य ने केरल भूजल (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2002 और प्रासंगिक नियम बनाए। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, एस.जी.डब्ल्यू.ए. को परमिट/एन.ओ.सी. जारी करने का अधिकार है। अधिसूचित क्षेत्रों[79] में, जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति (डी.एल.ई.सी.) द्वारा घरेलू उद्देश्य के लिए 1,000 ली./दिन तक सीमित सशर्त परमिट जारी किया जा रहा है। यद्यपि आधारभूत संरचना परियोजनाएं औद्योगिक परियोजनाएं आदि भी एस.जी.डब्ल्यू.ए. के दायरे में आती है, केवल पैक किए हुए पेयजल परियोजनाओं के प्रस्ताव मार्च 2018 तक प्राप्त हुए थे और एन.ओ.सी. प्रदान करने के लिए एस.जी.डब्ल्यू.ए. को सिफारिश की गई थी।

लक्षद्वीप

लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश में भूजल निकासी को विकसित करने और नियंत्रित करने के अभिप्राय से लक्षद्वीप (विकास एवं नियंत्रण) विनियमन, 2001 को अगस्त 2001 में अधिसूचित किया गया था। विनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि लक्षद्वीप द्वीपों के लिए एक राज्य स्तरीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया जाना है, जो यू.टी.एल. प्रशासन को भूजल विनियमन एवं प्रबंधन के लिए किसी भी द्वीप को अधिसूचित करने और निकासी के लिए परमिट जारी करने की सलाह देगा। हालांकि, लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान तिथि तक (अगस्त 2018) ऐसा कोई भूजल प्राधिकरण गठित नहीं किया गया है और इसलिए लक्षद्वीप में किसी भी द्वीप/क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किया गया है। लक्षद्वीप में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है, क्योंकि कोई प्रधिकरण

[79] एस.जी.डब्ल्यू.ए., केरल ने पांच ब्लॉकों को अधिसूचित किया है।

गठित नहीं किया गया था और एल.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किया गया था। अभी तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

पुडुचेरी

व्यक्तिगत घरों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अनुरक्षित सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से की जाती है। फरवरी 2005 में जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार, पी.जी.डब्ल्यू.ए., यू.टी.पी. में व्यक्तिगत घरों को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए प्राथमिकता के आधार पर पी.डब्ल्यू.डी. को भूजल निकासी के लिए परमिट जारी करता है। अधिनियम 2002 की धारा 8 के अनुसार, यू.टी.पी. में गैर-अधिसूचित क्षेत्रों सहित डूबे सभी कुंओं को पंजीकृत किया जाना चाहिए और प्रत्येक दो वर्ष में नवीनीकृत किया जाना चाहिए। भूजल के किसी भी उपयोगकर्ता को किसी भी उद्देश्य के लिए कुंआ खोदने हेतु और खोदे हुए कुएं के पंजीकरण हेतु और नवीनीकरण के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र में पी.जी.डब्ल्यू.ए. को आवेदन करना होगा। पी.जी.डब्ल्यू.ए. इस प्रकार का निरीक्षण और पूछताछ करेगा ताकि वह संतुष्ट हो सके कि कुएं को खोदने के लिए ऐसा परमिट दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद पी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा आवेदक को आवश्यक शर्त के साथ परमिट जारी किया जाता है। एस.जी.डब्ल्यू.यू. एवं एस.सी. में प्राप्त औद्योगिक और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगने वाले आवेदनों को अध्यक्ष के रुप में कृषि निदेशक, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, एस.जी.डब्ल्यू.यू. एवं एस.सी., पुडुचेरी के रूप में सदस्य सचिव और मूल्यांकन के लिए पांच आधिकारिक सदस्यों के साथ पुडुचेरी सरकार द्वारा गठित क्षेत्रिय समिति (जुलाई 2010) के समक्ष रखा जाता है। आवेदकों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए समिति की सिफारिशों को पी.जी.डब्ल्यू.ए. को अग्रेषित किया जाता है।

तमिलनाडु

ई.ई.पी.डब्ल्यू.डी. भूजल विभाग द्वारा आवेदनों का प्रस्संकरण किया गया और संबंधित सर्कल के एस.ई. को क्षेत्रीय जाँच रिपोर्ट भेजनी चाहिए। एस.ई. द्वारा रिपोर्ट की संवीक्षा और सी.ई. कार्यालय को टिप्पणी के साथ रिपोर्ट प्रेषित की जानी चाहिए। सी.ई. कार्यालय और पूर्व अनुमोदन कार्यवाई योजना पर क्षेत्रीय रिपोर्ट पर निर्णय।

तेलंगाना

राज्य में डब्ल्यू.ए.एल.टी.ए. प्राधिकरण (राज्य जल, भूमि और वृक्ष अधिनियम, 2002 के तहत गठित प्राधिकरण) को पीने और कृषि बोरवेल के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनुमति देने

का अधिकार है। मंडल स्तर पर एम.आर.ओ. और जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर वाल्टा प्राधिकरण है। एस.जी.डब्ल्यू.डी. द्वारा दी गई व्यवहार्यता के आधार पर संबंधित एम.आर.ओ. (मंडल प्राधिकरण) द्वारा कृषि बोरवेल ड्रिलिंग के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनुमति प्रदान की जाती है। उद्योगों के संबंध में, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने का अधिकार भूजल विभाग (2005) को प्रत्यायोजित कर दी गई है।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल भूजल संसाधन (प्रबंधन नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2005 के अनुसार, कोई भी उपयोगकर्ता जो किसी भी उद्देश्य के लिए एक कुआं/टयूबवेल को खोदना चाहता है, सिवाय हैंड-पम्प लगे टयूबवेल अथवा ऐसा कुआ जिसमें निकासी या उपयोग बिना किसी यांत्रिक या विधुत उपकरण की सहायता से हो, को संबंधित राज्य/जिला/निगम स्तर के प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, को भूजल निकासी के परमिट हेतु आवेदन करना होगा।

अनुलग्नक 3.2 (पैरा 3.4 का संदर्भ लें)

लंबित अनापत्ति प्रमाण-पत्र और नवीनीकरण के राज्य-वार विवरण

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार एन.ओ.सी. के लंबित होने से संबंधित सूचना								
क्रं.सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	लंबित आवेदनों की संख्या						
		31/03/2019 तक विलंब	30 दिनों से कम	31 से 90 दिन	91 से 181 दिन	181 से 365 दिन	1 से 3 वर्ष से अधिक	3 वर्षो से अधिक
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूह	13	0	0	13	0	0	0
2	असम	12	0	0	1	9	2	0
3	बिहार	89	0	0	9	33	47	0
4	छत्तीसगढ़	863	0	0	259	568	36	0
5	दादर एवं नगर हवेली	27	0	0	8	13	6	0
6	दमन एवं दीव	11	0	0	0	5	6	0
7	गुजरात	1,978	0	0	247	598	1,133	0
8	हरियाणा	435	0	0	98	160	177	0
9	झारखंड	80	0	0	13	49	18	0
10	मध्य प्रदेश	248	0	0	39	127	82	0
11	महाराष्ट्र	390	0	0	62	171	157	0
12	मणिपुर	3	0	0	1	2	0	0
13	ओडिशा	161	0	0	68	61	32	0
14	पंजाब	1,144	0	0	176	328	640	0
15	राजस्थान	4,319	0	0	866	2,383	1,070	0
16	सिक्किम	7	0	0	3	3	1	0
17	त्रिपुरा	1	0	0	0	1	0	0
18	उत्तर प्रदेश	552	0	0	256	164	132	0
19	उत्तराखंड	425	0	0	64	80	281	0
	कुल	**10,758**	**0**	**0**	**2,183**	**4,755**	**3,820**	**0**

31 मार्च 2019 तक एन.ओ.सी. के नवीनीकरण प्रदान करने में देरी से संबंधित सूचना								
क्रं.सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश		लंबित आवेदनों की संख्या					
			31 मार्च 2019 तक की देरी					
		31/03/2019 तक विलंब	30 दिनों से कम	31 से 90 दिन	91 से 180 दिन	181 से 365 दिन	एक वर्ष से तीन वर्षों से अधिक	तीन वर्षों से अधिक
1	अंडमान एंव निकोबार द्वीप-समूह	0	0	0	0	0	0	0
2	अरूणाचल प्रदेश	उपलब्ध नही						
3	असम							
4	बिहार	उपलब्ध नही						
5	छत्तीसगढ़							
6	दादर एवं नगर हवेली	उपलब्ध नही						
7	दमन एवं दीव							
8	गुजरात	उपलब्ध नही						
9	हरियाणा	21	1	5	3	2	9	1
10	झारखंड							
11	मध्य प्रदेश	16	1	6	4	2	3	0
12	महाराष्ट्र	15	7	2	3	2	1	0
13	मणिपुर	उपलब्ध नही						
14	मेघालय							
15	मिजोरम							
16	नागालैंड							
17	ओडिशा							
18	पंजाब	58	2	10	13	14	19	-
19	राजस्थान	34	0	1	2	5	24	2
20	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
21	त्रिपुरा	उपलब्ध नही						
22	उत्तर प्रदेश							
23	उत्तराखंड	उपलब्ध नही						
	कुल	**144**	**11**	**24**	**25**	**25**	**56**	**3**

अनुलग्नक 3.3 (पैरा 3.10.1 का संदर्भ लें)

एन.ओ.सी. की शर्तों का उल्लंघन

(i) नलकूपों की संख्या

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या से अधिक नलकूप बोरवेल, खोदे गए कुओं का निर्माण किया गया था	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका (आंशिक रूप से)	टिप्पणियां, यदि कोई
गैर-अधिसूचित क्षेत्र						
1. अरूणाचल प्रदेश	6	6	0	6	0	
2. असम	50	50	0	45	5	
3. बिहार	42	41	4	36	1	5 ईकाईयां जिनके द्वारा कोई बोरवेल का निर्माण नहीं किया गया
4. छत्तीसगढ़	50	50	2	48	0	
5. दादर एवं नगर हवेली	3	3	0	3	0	
6. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
7. गुजरात	42	42	3	38	1	एक परियोजना पूर्ण नही हुई थी
8. हरियाणा	35	35	6	25	4	
9. झारखंड	20	16	1	9	6	7 परियोजनाए अभी भी शुरू होनी थी।
10. मध्य प्रदेश	50	47	12	30	5	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या से अधिक नलकूप बोरवेल, खोदे गए कुओं का निर्माण किया गया था	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका (आंशिक रूप से)	टिप्पणियां, यदि कोई
11. महाराष्ट्र	50	50	0	50	0	
12. मणिपुर	3	3	0	3	0	
13. मेघालय	4	4	0	4	0	
14. नागालैंड	3	3	1	1	1	मैसर्स एस्तेर बेवरेजे एन.ओ.सी. का नवीनीकरण प्राप्त किए बिना ही भूजल का दोहन कर रहे थे। नागालैंड स्टेट/राज्य डेयरी कॉआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड अभी तक बोरिंग वेल को पूरा नहीं कर पाया है। इसलिए अभिनिश्चित नहीं किया जा सका

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या से अधिक नलकूप बोरवेल, खोदे गए कुओं का निर्माण किया गया था	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका (आंशिक रूप से)	टिप्पणियां, यदि कोई
15. ओडिशा	50	49	8	38	3	तीन परियोजनाएं अभी भी शूरू नहीं हुई।
16. पंजाब	50	50	4	44	2	
17. राजस्थान	44	40	1	39	0	
18. त्रिपुरा	13	13	2	9	2	
19. उत्तर प्रदेश	40	40	10	26	4	एक परियोजना को सील कर दिया गया था और 3 परियोजनाओं का संचालन नहीं किया गया था।
20. उत्तराखंड	40	40	0	39	1	एक परियोजना अभी भी परिचालित नहीं थी
कुल	**595**	**582**	**54**	**493**	**35**	
अधिसूचित क्षेत्र						
1. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
2. गुजरात	0	0	0	0	0	
3. हरियाणा	30	30	3	26	1	
4. मध्य प्रदेश	48	48	0	45	3	
5. पंजाब	36	29	3	22	4	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या से अधिक नलकूप बोरवेल, खोदे गए कुओं का निर्माण किया गया था	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका (आंशिक रूप से)	टिप्पणियां, यदि कोई
6. राजस्थान	95	95	0	95	0	
7. उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	
8. तमिलनाडु	2	2	1	1	0	
9. पश्चिम बंगाल	10	10	0	8	2	एक परियोजना का निर्माण नहीं हुआ था, कार्य-स्थल दौरे के दौरान एक परियोजना नही पाई गई।
कुल	**221**	**214**	**7**	**197**	**10**	
स्व-विनियमित क्षेत्र						
1. आंध्र प्रदेश	42	37	1	18	18	
2. चंडीगढ़ (सरकारी आदेश के माध्यम से)	14	0	0	0	0	
3. दिल्ली	60	60	0	42	18	60 नमूना चयनित परियोजना में से 12 नलकूपों का निर्माण नहीं किया गया था। 06 परियोजनाएं बंद कर दी गई थी।
4. गोवा	40	40	0	40	0	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या से अधिक नलकूप बोरवेल, खोदे गए कुओं का निर्माण किया गया था	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका (आंशिक रूप से)	टिप्पणियां, यदि कोई
5. हिमाचल प्रदेश	40	40	26	0	14	
6. जम्मू एवं कश्मीर	40	40	1	36	3	
7. कर्नाटक	60	60	0	53	7	
8. केरल	40	40	7	24	9	कुंओं के निर्माण के लिए एन.ओ.सी. आवश्यक नहीं है। एस.जी.डब्ल्यू.ए. पहले से निर्मित कुओं से पानी की सक्रिय निकासी हेतु एन.ओ.सी. जारी कर रहा है। कुछ परियोजनाएं प्रवाह मीटर के बिना अतिरिक्त पंपो का प्रयोग करके पानी निकाल रही हैं।
9. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	
10. पुडुचेरी (पी.जी.डब्ल्यू.ए.)	6	6	0	6	0	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या**	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी**	**उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी**			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या से अधिक नलकूप बोरवेल, खोदे गए कुओं का निर्माण किया गया था	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका (आंशिक रूप से)	टिप्पणियां, यदि कोई
11. तमिलनाडु (सरकारी आदेश के माध्यम से)	50	50	5	45	0	
12. तेलंगाना	40	34	3	22	9	
13. पश्चिम बंगाल	40	35	0	31	4	चार परियोजनाओं में शुरूआत नहीं हुई थी (खनन के निर्जलीकरण के लिए 5 परमिट थे)
कुल	**472**	**442**	**43**	**317**	**82**	
कुल योग	**1,288**	**1,238**	**104**	**1,007**	**127**	

(ii) जल के मीटर की संस्थापन

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या के अनुरुप पानी के मीटर को नही लगाया गया था	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
गैर-अधिसूचित क्षेत्र						
1. अरूणाचल प्रदेश	6	5	4	1	0	
2. असम	50	50	24	25	1	
3. बिहार	42	42	13	28	1	5 इकाईयों ने किसी भी बोरवेल का निर्माण नहीं किया
4. छत्तीसगढ़	50	50	24	26	0	
5. दादर एवं नगर हवेली	3	3	0	3	0	
6. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
7. गुजरात	42	42	6	28	8	एक परियोजना पूरी नहीं हुई।
8. हरियाणा	35	35	16	10	9	
9. झारखंड	20	16	4	6	6	7 परियोजना अभी शुरु नही हुई।
10. मध्य प्रदेश	50	50	27	15	8	
11. महाराष्ट्र	50	50	21	27	2	
12. मणिपुर	3	3	0	3	0	
13. मेघालय	4	4	3	1	0	
14. नागालैंड	3	3	3	0	0	
15. ओडिशा	50	49	29	17	3	तीन परियोजनाएं अभी भी शूरू नहीं हुई।
16. पंजाब	50	50	7	38	5	
17. राजस्थान	44	40	14	26	0	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या के अनुरुप पानी के मीटर को नही लगाया गया था	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
18. त्रिपुरा	13	13	8	3	2	
19. उत्तर प्रदेश	40	40	13	23	4	एक परियोजना को सील किया गया और तीन परिचालित नहीं थे
20. उत्तराखंड	40	40	1	38	1	एक परियोजना अभी भी परिचालित नहीं थी।
कुल	**595**	**585**	**217**	**318**	**50**	
अधिसूचित क्षेत्र						
1. दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	
2. गुजरात	0	0	0	0	0	
3. हरियाणा	30	28	21	5	2	
4. मध्य प्रदेश	48	0	0	0	0	
5. पंजाब	36	31	8	19	4	
6. राजस्थान	95	11	11	0	0	
7. उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	
8. तमिलनाडु	2	2	2	0	0	
9. पश्चिम बंगाल	10	10	7	1	2	एक परियोजना का निर्माण नहीं हुआ था, कार्य-स्थल दौरे के दौरान एक परियोजना नहीं पाई गई।
कुल	**221**	**82**	**49**	**25**	**8**	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या के अनुरुप पानी के मीटर को नही लगाया गया था	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
स्व-विनियमित राज्य						
1. आंध्र प्रदेश	42	19	1	0	18	
2. चंडीगढ़ (सरकारी आदेश के माध्यम से)	14	0	0	0	0	
3. दिल्ली	60	22	13	6	03	नियत समय या इस दौरान पर तीन नलकूपों को बंद कर दिया गया/छोड़ दिया गया था।
4. गोवा	40	3	0	3	0	
5. हिमाचल प्रदेश	40	40	15	11	14	
6. जम्मू एवं कश्मीर	40	40	20	17	3	
7. कर्नाटक	60	40	30	10	0	
8. केरल	40	40	1	19	20	एक परियोजना में एन.ओ.सी. के अनुसार परमिट दिए गए कुएं में पानी का मीटर संस्थापित नहीं किया गया था। दो परियोजनाओं में पानी का मीटर संस्थापित नहीं किया गया था चूंकि उनका परिचालन शुरू नहीं हुआ था।

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या के अनुरुप पानी के मीटर को नही लगाया गया था	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
						एन.ओ.सी. के अनुसार सात परियोजनाओं ने अतिरिक्त कुओं का निर्माण किया था और 11 परियोजनाओं ने निर्मित कुओं में अतिरिक्त पंपों को संस्थापित किया था।
9. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	
10. पुडुचेरी (पी.जी.डब्ल्यू.ए.)	6	4	0	3	1	
11. तमिलनाडु (सरकारी आदेश के माध्यम से)	50	50	13	37	0	37 में से 3 इकाईयों में फ्लो मीटर रीडिंग अनुरक्षित नही थे, 19 को आंशिक रूप से अनुरक्षित किया गया था
12. तेलंगाना	40	2	0	1	1	
13. पश्चिम बंगाल	40	40	19	13	8	आठ परियोजनाओं में नलकूपों और संप कुओं का निर्माण और संस्थापन शुरू नही किया गया था।
कुल	472	300	112	120	68	
कुल योग	**1,288**	**967**	**378**	**463**	**126**	

(iii) पीजोमीटर की संस्थापन

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या के अनुरुप पीजोमीटर नहीं लगाया गया था।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
गैर-अधिसूचित क्षेत्र						
1. अरूणाचल प्रदेश	6	6	6	0	0	
2. असम	50	50	29	20	1	
3. बिहार	42	39	23	15	1	
4. छत्तीसगढ़	50	48	23	25	0	
5. दादर एवं नगर हवेली	3	3	2	1	0	
6. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
7. गुजरात	42	42	17	19	6	एक परियोजना पूर्ण नहीं हुई थी।
8. हरियाणा	35	35	18	13	4	
9. झारखंड	20	20	10	3	7	7 परियोजनाएं अभी भी शूरू होनी है।
10. मध्य प्रदेश	50	50	16	13	21	
11. महाराष्ट्र	50	50	24	26	0	
12. मणिपुर	3	3	1	2	0	
13. मेघालय	4	4	3	1	0	
14. नागालैंड	3	2	2	0	0	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.), मोकोकचुंग के संबंध में एन.ओ.सी. में पोजोमीटर की स्थापना की

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या**	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी**	**उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी**			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या के अनुरुप पीजोमीटर नहीं लगाया गया था।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
						अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि एन.ओ.सी. केवल आवासीय उपयोग के लिए भूजल निकालने के लिए अनुमोदित किया गया था।
15. ओडिशा	50	38	21	14	3	तीन परियोजनाएं अभी भी शुरू नही हुई थी।
16. पंजाब	50	50	24	24	2	
17. राजस्थान	44	43	27	16	0	
18. त्रिपुरा	13	13	10	1	2	
19. उत्तर प्रदेश	40	38	14	20	4	एक परियोजना सील हो गई थी और तीन परिचालित नही थी
20. उत्तराखंड	40	33	18	15	0	18 परियोजनाओं में से जिनके द्वारा एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन नहीं किया गया, एन.ओ.सी. में दी गई संख्या की तुलना में 06 परियोजनाओं में कम संख्या में पीजोमीटर संसस्थापित किए गए। 11 परियोजनाओं ने

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या के अनुरुप पीजोमीटर नहीं लगाया गया था।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
						कोई भी पीजोमीटर संस्थापित नहीं किया और एक परियोजना अभी भी परिचालित नहीं थी।
कुल	**595**	**567**	**288**	**228**	**51**	
अधिसूचित क्षेत्र						
1. दमन एवं दीव यू.टी.	0	0	0	0	0	
2. गुजरात	0	0	0	0	0	
3. हरियाणा	30	3	2	0	1	
4. मध्य प्रदेश	48	0	0	0	0	
5. पंजाब	36	10	9	1	0	
6. राजस्थान	95	0	0	0	0	
7. उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	
8. तमिलनाडु	2	2	2	0	0	
9. पश्चिम बंगाल	10	0	0	0	0	पीजोमीटर हेतु परमिट में कोई प्रावधान नहीं है।
कुल	**221**	**15**	**13**	**1**	**1**	
स्व-विनियमित राज्य						
1. आंध्र प्रदेश	42	36	13	5	18	
2. चंडीगढ़ (सरकारी आदेश के माध्यम से)	14	0	0	0	0	
3. दिल्ली	60	0	0	0	0	
4. गोवा	40	0	0	0	0	
5. हिमाचल प्रदेश	40	0	0	0	0	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या**	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी**	**उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी**			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित संख्या के अनुरुप पीजोमीटर नहीं लगाया गया था।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
6. जम्मू एवं कश्मीर	40	0	0	0	0	
7. कर्नाटक	60	5	5	0	0	
8. केरल	40	0	0	0	0	एन.ओ.सी. में पीजोमीटर संस्थापित करने पर जोर नहीं दिया गया था अतः किसी भी परियोजना में संस्थापित नहीं किया गया।
9. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	
10. पुडुचेरी (पी.जी.डब्ल्यू.ए.)	6	0	0	0	0	
11. तमिलनाडु (सरकारी आदेश के माध्यम से)	50	50	15	35	0	35 में से, 14 इकाईयों को देरी से सौंपा गया था
12. तेलंगाना	40	36	17	1	18	
13. पश्चिम बंगाल	40	0	0	0	0	राज्य भूजल अधिनियम के अनुसार परमिट में पीजोमीटर का कोई प्रावधान नहीं था।
कुल	**472**	127	**50**	**41**	**36**	
कुल योग	**1,288**	**709**	**351**	**270**	**88**	

(iv) स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर की संस्थापना

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां स्वाचालित जल स्तर रिकॉर्ड संस्थापित नही किया किया गया था।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां यदि, कोई
गैर-अधिसूचित क्षेत्र						
1. अरूणाचल प्रदेश	6	1	1	0	0	
2. असम	50	24	19	4	1	
3. बिहार	42	22	10	11	1	
4. छत्तीसगढ़	50	28	17	11	0	
5. दादर एवं नगर हवेली	3	3	1	2	0	
6. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
7. गुजरात	42	17	10	4	3	सुगला लाइमस्टोन खानों (छः महीने) पूरी नही हुई थी
8. हरियाणा	35	26	19	3	4	
9. झारखंड	20	14	5	2	7	07 परियोजनाएं अभी भी शूरू होनी थी
10. मध्य प्रदेश	50	30	24	6	0	
11. महाराष्ट्र	50	26	19	7	0	
12. मणिपुर	3	0	0	0	0	
13. मेघालय	4	0	0	0	0	
14. नागालैंड	3	2	2	0	0	पी.जी.सी.आई.एल.के एन.ओ.सी. में स्वचालित जल स्तर रिकॉर्ड को संस्थापित करना निर्दिष्ट नहीं था।
15. ओडिशा	50	24	18	6	0	
16. पंजाब	50	22	15	5	2	
17. राजस्थान	44	18	13	5	0	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां स्वाचालित जल स्तर रिकॉर्ड संस्थापित नही किया किया गया था।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां यदि, कोई
18. त्रिपुरा	13	0	0	0	0	
19. उत्तर प्रदेश	40	26	8	14	4	एक परियोजना को सील किया गया और 03 परिचालित नहीं थी।
20. उत्तराखंड	40	23	13	10	0	13 परियोजनाओं में से एन.ओ.सी. जिनमें शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था चार परियोजनाओं में एन.ओ.सी. में दी गई संख्या की तुलना में कम संख्या में स्वचालित जल स्तर रिकॉर्ड संस्थापित किए गए, आठ परियोजनाओं ने कोई स्वचालित जल स्तर रिकॉर्ड संस्थापित नही किए और एक परियोजना अभी भी परिचालित नहीं थी।
कुल	**595**	**306**	**194**	**90**	**22**	
अधिसूचित क्षेत्र						
1. दमन एवं दीव यू.टी.	0	0	0	0	0	
2. गुजरात	0	0	0	0	0	
3. हरियाणा	30	3	2	0	1	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां स्वाचालित जल स्तर रिकॉर्ड संस्थापित नही किया किया गया था।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां यदि, कोई
4. मध्य प्रदेश	48	0	0	0	0	
5. पंजाब	36	7	7	0	0	
6. राजस्थान	95	0	0	0	0	
7. उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	
8. तमिलनाडु	2	0	0	0	0	कोई प्रावधान नहीं
9. पश्चिम बंगाल	10	0	0	0	0	
कुल	**221**	**10**	**9**	**0**	**1**	
स्व-विनियमित राज्य						
1. आंध्र प्रदेश	42	26	7	1	18	
2. चंडीगढ़ (सरकार के माध्यम से आदेश)	14	0	0	0	0	
3. दिल्ली	60	0	0	0	0	
4. गोवा	40	0	0	0	0	
5. हिमाचल प्रदेश	40	0	0	0	0	
6. जम्मू एवं कश्मीर	40	0	0	0	0	
7. कर्नाटक	60	0	0	0	0	
8. केरल	40	0	0	0	0	स्वचालित जल स्तर रिकॉर्ड के संस्थापन पर एन.ओ.सी. में जोर नहीं दिया गया था अतः किसी भी परियोजना में संस्थापित नहीं किए गए
9. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	
10. पुडुचेरी (पी.जी.डब्ल्यू.ए.)	6	0	0	0	0	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां स्वाचालित जल स्तर रिकॉर्ड संस्थापित नही किया किया गया था।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां यदि, कोई
11. तमिलनाडु (सरकारी आदेश के माध्यम से)	50	0	0	0	0	
12. तेलंगाना	40	0	0	0	0	
13. पश्चिम बंगाल	40	0	0	0	0	राज्य भूजल अधिनियम के अनुसार, परमिट में कोई प्रावधान नहीं था।
कुल	**472**	**26**	**7**	**1**	**18**	
कुल योग	**1,288**	**342**	**210**	**91**	**41**	

(v) मानसून पूर्व व मानसून के बाद भूजल गुणवत्ता की निगरानी

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिसमें मानसून पूर्व व मानसून के बाद की अवधि के दौरान वर्ष में दो बार भूजल गुणवत्ता की निगरानी नहीं की गई थी	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
गैर-अधिसूचित क्षेत्र						
1. अरूणाचल प्रदेश	6	6	6	0	0	
2. असम	50	50	24	25	1	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या**	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी**	**उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी**			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिसमें मानसून पूर्व व मानसून के बाद की अवधि के दौरान वर्ष में दो बार भूजल गुणवत्ता की निगरानी नहीं की गई थी	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
3. बिहार	42	41	22	17	0	
4. छत्तीसगढ़	50	50	23	27	0	
5. दादर एवं नगर हवेली	3	3	1	2	0	
6. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
7. गुजरात	42	42	14	5	23	1. सुगला लाइमस्टोन खानों, (छः महीने पूर्ण नहीं हुए थे) 2. रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय (इकाई परिचालित नहीं थी)
8. हरियाणा	35	35	26	5	4	
9. झारखंड	20	20	6	7	7	07 परियोजनाएं अभी भी शुरू होनी थी।
10. मध्य प्रदेश	50	50	22	28	0	
11. महाराष्ट्र	50	50	7	31	12	
12. मणिपुर	3	3	1	2	0	
13. मेघालय	4	4	4	0	0	
14. नागालैंड	3	2	2	0	0	पी.जी.सी.आई.एल. के संबंध में गुणवत्ता डेटा की निगरानी एन.ओ.सी. की शर्तों में शामिल नहीं थी।
15. ओडिशा	50	40	20	17	3	तीन परियोजनाएं शूरू नही हुई थी।

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिसमें मानसून पूर्व व मानसून के बाद की अवधि के दौरान वर्ष में दो बार भूजल गुणवत्ता की निगरानी नहीं की गई थी	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
16. पंजाब	50	50	26	22	2	
17. राजस्थान	44	44	21	23	0	
18. त्रिपुरा	13	13	11	0	2	
19. उत्तर प्रदेश	40	40	8	28	4	एक परियोजना को सील किया गया था और तीन परिचालित नहीं थी
20. उत्तराखंड	40	34	11	23	0	11 परियोजनाओं में से, जिनके द्वारा एन.ओ.सी. की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था, आठ परियोजनाएं वर्ष में एक बार गुणवत्ता डेटा निगरानी कर रही थी, दो गुणवत्ता की निगरानी नहीं कर रही थी ओर एक परियोजना अभी भी परिचालित नहीं हुई थी।
कुल	**595**	**577**	**255**	**262**	**60**	
स्व-विनियमित क्षेत्र						
1. आंध्र प्रदेश	42	37	6	12	19	
2. चंडीगढ़ (सरकारी आदेश के माध्यम से)	14	0	0	0	0	
3. दिल्ली	60	0	0	0	0	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या**	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी**	**उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी**			
			नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिसमें मानसून पूर्व व मानसून के बाद की अवधि के दौरान वर्ष में दो बार भूजल गुणवत्ता की निगरानी नहीं की गई थी	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
4. गोवा	40	0	0	0	0	
5. हिमाचल प्रदेश	40	0	0	0	0	
6. जम्मू एवं कश्मीर	40	0	0	0	0	
7. कर्नाटक	60	5	5	0	0	
8. केरल	40	0	0	0	0	गुणवत्ता डेटा की निगरानी एन.ओ.सी. में शामिल नहीं थी इसलिए किसी परियोजना में इसकी निगरानी नहीं की गई थी।
9. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	
10. पुडुचेरी (पी.जी.डब्ल्यू.ए.)	6	0	0	0	0	
11. तमिलनाडु (सरकारी आदेश के माध्यम से)	50	0	0	0	0	
12. तेलंगाना	40	40	19	1	20	
13. पश्चिम बंगाल	40	0	0	0	0	राज्य भूजल अधिनियम के अनुसार, परमिट में इसका कोई प्रावधान नहीं था
कुल	472	82	30	13	39	
कुल योग	**1,067**	**659**	**285**	**275**	**99**	

(vi) कुओं के जल स्तर के आंकड़ों की निगरानी

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			चयनित नमूनों की संख्या जिसमें पीजोमीटर के माध्यम से भूजल स्तर डेटा की निगरानी नहीं की गई थी।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
गैर-अधिसूचित क्षेत्र						
1. अरूणाचल प्रदेश	6	6	6	0	0	
2. असम	50	50	32	17	1	
3. बिहार	42	39	25	12	2	
4. छत्तीसगढ़	50	50	24	26	0	
5. दादर एवं नगर हवेली	3	3	0	3	0	
6. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
7. गुजरात	42	42	21	16	5	एक परियोजना पूर्ण नहीं हुई थी।
8. हरियाणा	35	35	29	2	4	
9. झारखंड	20	20	8	5	7	07 परियोजनाए अभी भी शुरू होनी थी।
10. मध्य प्रदेश	50	50	28	22	0	
11. महाराष्ट्र	50	50	14	24	12	
12. मणिपुर	3	3	2	1	0	
13. मेघालय	4	4	4	0	0	
14. नागालैंड	3	2	2	0	0	पी.जी.सी.आई.एल. के संबंध में एन.ओ.सी. में जल स्तर डेटा की निगरानी की शर्त नहीं थी।

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			चयनित नमूनों की संख्या जिसमें पीजोमीटर के माध्यम से भूजल स्तर डेटा की निगरानी नहीं की गई थी।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
15. ओडिशा	50	38	18	17	3	तीन परियोजनाएँ शुरू नहीं हुई थी
16. पंजाब	50	50	28	19	3	
17. राजस्थान	44	44	25	19	0	
18. त्रिपुरा	13	13	11	0	2	
19. उत्तर प्रदेश	40	38	14	20	4	एक परियोजना सील थी और 03 परिचालित नही थी।
20. उत्तराखंड	40	33	12	20	1	एक परियोजना परिचालित नहीं थी
कुल	**595**	**570**	**303**	**223**	**44**	
स्व-विनियमित क्षेत्र						
1. आंध्र प्रदेश	42	23	2	3	18	
2. चंडीगढ़ (सरकारी आदेश के माध्यम से)	14	0	0	0	0	
3. दिल्ली	60	0	0	0	0	
4. गोवा	40	0	0	0	0	
5. हिमाचल प्रदेश	40	0	0	0	0	
6. जम्मू एवं कश्मीर	40	0	0	0	0	
7. कर्नाटक	60	5	5	0	0	
8. केरल	40	0	0	0	0	एन.ओ.सी. में जल स्तर डेटा की निगरानी करना शामिल नहीं था।

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			चयनित नमूनों की संख्या जिसमें पीजोमीटर के माध्यम से भूजल स्तर डेटा की निगरानी नहीं की गई थी।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
						इसलिए किसी परियोजना में इसकी निगरानी नहीं की गई थी।
9. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	
10. पुडुचेरी (पी.जी.डब्ल्यू.ए.)	6	0	0	0	0	
11. तमिलनाडु (सरकारी आदेश के माध्यम से)	50	50	5	30	15	
12. तेलंगाना	40	40	19	1	20	
13. पश्चिम बंगाल	40	0	0	0	0	राज्य भूजल अधिनियम के अनुसार, परमिट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
कुल	472	118	31	34	53	
कुल योग	**1,067**	**688**	**334**	**257**	**97**	

(vii) वर्षा जल संचयन संरचनाएँ

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. के मुताबिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण नहीं किया गया था।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
गैर-अधिसूचित क्षेत्र						
1. अरूणाचल प्रदेश	6	6	4	2	0	
2. असम	50	50	16	33	1	
3. बिहार	42	42	28	13	1	
4. छत्तीसगढ़	50	50	23	27	0	
5. दादर एवं नगर हवेली	3	3	2	1	0	
6. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
7. गुजरात	42	35	6	18	11	
8. हरियाणा	35	35	23	8	4	
9. झारखंड	20	20	4	9	7	07 परियोजनाएं शुरू होनी बाकी थीं।
10. मध्य प्रदेश	50	50	16	28	6	
11. महाराष्ट्र	50	50	5	45	0	
12. मणिपुर	3	3	2	1	0	
13. मेघालय	4	4	4	0	0	
14. नागालैंड	3	3	1	2	0	मैसर्स इस्थर बेवरेज ने एन.ओ.सी. जारी होने के बाद कृत्रिम पुनर्भरण के लिए जल संचयन के निर्माण का

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. के मुताबिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण नहीं किया गया था।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
						अनुपालन नहीं किया।
15. ओडिशा	50	44	21	20	3	तीन परियोजनाएँ शुरू होनी थीं।
16. पंजाब	50	39	8	18	13	
17. राजस्थान	44	44	15	29	0	
18. त्रिपुरा	13	13	7	4	2	
19. उत्तर प्रदेश	40	32	12	16	4	एक परियोजना को सील किया गया तथा 3 कार्यरत नहीं थीं।
20. उत्तराखंड	40	40	23	17	0	एन.ओ.सी. शर्तों का पालन नहीं करने वाली 23 परियोजनाओं में से 13 ने आंशिक रूप से पालन किया। एवं एक अभी कार्यरत नहीं थी।
कुल	**595**	**563**	**220**	**291**	**52**	
अधिसूचित क्षेत्र						
1. दमन एवं दीव यू.टी.	0	0	0	0	0	
2. गुजरात	0	0	0	0	0	
3. हरियाणा	30	27	10	16	1	
4. मध्य प्रदेश	48	48	43	2	3	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. के मुताबिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण नहीं किया गया था।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
5. पंजाब	36	35	16	10	9	
6. राजस्थान	95	39	35	4	0	
7. उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	
8. तमिलनाडु	2	2	2	0	0	
9. पश्चिम बंगाल	10	0	0	0	0	परमिट में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि छत पर वर्षा जल संचयन का प्रावधान है।
कुल	**221**	**151**	**106**	**32**	**13**	
स्व-विनियमित क्षेत्र						
1. आंध्र प्रदेश	42	35	7	10	18	
2. चंडीगढ़ (सरकारी आदेश के माध्यम से)	14	3	0	3	0	
3. दिल्ली	60	23	7	13	3	
4. गोवा	40	0	0	0	0	
5. हिमाचल प्रदेश	40	40	20	6	14	
6. जम्मू एवं कश्मीर	40	0	0	0	0	
7. कर्नाटक	60	39	24	15	0	
8. केरल	40	0	21	19	0	ए.आर. के संबंध में एन.ओ.सी. में विशिष्ट निर्देश नहीं दिए गए

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना परियोजनाओं की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. के मुताबिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण नहीं किया गया था।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
						हैं। किसी भी एन.ओ.सी. में आर.डब्ल्यू.एच. का उल्लेख नहीं है। 19 परियोजनाएँ (17 परियोजनाएं ने ए.आर संरचनाओं का निर्माण किया और 2 परियोजनाओं में आर.डब्ल्यू.एच. संरचना का निर्माण किया।
9. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	
10. पुडुचेरी (पी.जी.डब्ल्यू.ए.)	6	3	0	2	1	
11. तमिलनाडु (सरकारी आदेश के माध्यम से)	50	50	09	41	0	
12. तेलंगाना	40	40	15	5	20	
13. पश्चिम बंगाल	40	0	0	0	0	परमिट में कृत्रिम रिचार्ज को लेकर कोई प्रावधान नहीं है।
कुल	**472**	**273**	**103**	**114**	**56**	
कुल योग	**1,288**	**987**	**429**	**437**	**121**	

(viii) वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं का रखरखाव

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			परियोजनाओं की संख्या जहां वर्षा जल संचयन संरचनाओं का उचित रखरखाव नहीं किया गया।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
गैर-अधिसूचित क्षेत्र						
1. अरूणाचल प्रदेश	6	0	0	0	0	
2. असम	50	50	10	23	17	
3. बिहार	42	42	28	13	1	
4. छत्तीसगढ़	50	50	23	27	0	
5. दादर एवं नगर हवेली	3	3	2	1	0	
6. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
7. गुजरात	42	35	5	30	0	सुगला चूना पत्थर की खदाने (6 माह पूर्ण नहीं हुए थे।)
8. हरियाणा	35	35	23	8	4	
9. झारखंड	20	13	2	4	7	7 परियोजनाएँ अभी शुरू होनी बाकी थीं।
10. मध्य प्रदेश	50	50	23	23	4	
11. महाराष्ट्र	50	50	5	45	0	
12. मणिपुर	3	2	2	0	0	
13. मेघालय	4	4	4	0	0	
14. नागालैंड	3	0	0	0	0	3 इकाईयों के संबंध में एन.ओ.सी. में वर्णित नहीं
15. ओडिशा	50	20	16	4	0	
16. पंजाब	50	39	7	30	2	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			परियोजनाओं की संख्या जहां वर्षा जल संचयन संरचनाओं का उचित रखरखाव नहीं किया गया।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
17. राजस्थान	44	0	0	0	0	
18. त्रिपुरा	13	6	2	2	2	
19. उत्तर प्रदेश	40	20	11	5	4	एक परियोजना बंद की गई 3 कार्यरत नहीं थीं।
20. उत्तराखंड	40	40	22	17	1	एक परियोजना अभी तक कार्यरत नहीं थी।
कुल	**595**	**459**	**185**	**232**	**42**	
अधिसूचित क्षेत्र						
1. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
2. गुजरात	0	0	0	0	0	
3. हरियाणा	30	27	16	10	1	
4. मध्य प्रदेश	48	0	0	0	0	
5. पंजाब	36	35	16	19	0	
6. राजस्थान	95	0	0	0	0	
7. उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	
8. तमिलनाडु	2	2	2	0	0	
9. पश्चिम बंगाल	10	0	0	0	0	कोई प्रावधान नहीं।
कुल	**221**	**64**	**34**	**29**	**1**	
स्व-विनियमित क्षेत्र						
1. आंध्र प्रदेश	42	35	1	9	25	
2. चंडीगढ़ (सरकारी आदेश के माध्यम से)	14	0	0	0	0	
3. दिल्ली	60	0	0	0	0	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या**	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी**	**उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी**			
			परियोजनाओं की संख्या जहां वर्षा जल संचयन संरचनाओं का उचित रखरखाव नहीं किया गया।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
4. गोवा	40	0	0	0	0	
5. हिमाचल प्रदेश	40	0	0	0	0	
6. जम्मू एवं कश्मीर	40	0	0	0	0	
7. कर्नाटक	60	0	0	0	0	
8. केरल	40	0	0	0	0	ए.आर. और आर.डब्ल्यू.एच. के रखरखाव पर एन.ओ.सी. में कोई शर्त नहीं (परियोजना द्वारा भी नहीं किया गया।
9. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	
10. पुडुचेरी (पी.जी.डब्ल्यू.ए.)	6	0	0	0	0	
11. तमिलनाडु (सरकारी आदेश के माध्यम से)	50	0	0	0	0	
12. तेलंगाना	40	0	0	0	0	
13. पश्चिम बंगाल	40	0	0	0	0	राज्य भूजल अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं।
कुल	472	35	1	9	25	
कुल योग	**1,288**	**558**	**220**	**270**	**68**	

(ix) अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना परियोजनाओं की संख्या जिनमें अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
गैर-अधिसूचित क्षेत्र						
1. अरूणाचल प्रदेश	6	6	6	0	0	
2. असम	50	50	38	11	1	
3. बिहार	42	42	26	10	6	6 परियोजनाओं के लिए एक वर्ष पूर्ण नहीं हुआ था।
4. छत्तीसगढ़	50	50	40	10	0	
5. दादर एवं नगर हवेली	3	3	1	2	0	
6. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
7. गुजरात	42	42	15	13	14	
8. हरियाणा	35	35	23	3	9	
9. झारखंड	20	20	8	5	7	7 परियोजनाएँ शुरू होना बाकी थीं।
10. मध्य प्रदेश	50	50	27	20	3	
11. महाराष्ट्र	50	50	13	24	13	
12. मणिपुर	3	3	2	1	0	
13. मेघालय	4	4	4	0	0	
14. नागालैंड	3	3	3	0	0	अभी तक 3 इकाईयों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।
15. ओडिशा	50	50	33	5	12	
16. पंजाब	50	50	6	18	26	
17. राजस्थान	44	44	30	11	3	
18. त्रिपुरा	13	13	11	0	2	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या**	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी**	**उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी**			
			नमूना परियोजनाओं की संख्या जिनमें अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
19. उत्तर प्रदेश	40	40	15	14	11	एक परियोजना बंद की गई तथा 3 कार्यरत नहीं थीं।
20. उत्तराखंड	40	23	7	16	0	एन.ओ.सी. जारी होने की तिथि से लेकर स्थल निरीक्षण की तिथि तक 17 परियोजनाओं के संचलन का एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है। सात परियोजनाओं में से जिन्होने एन.ओ.सी. की शर्तों को पूरा नहीं किया था 4 परियोजनाओं ने कोई अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। 2 परियोजनाओं ने कम अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं 1 परियोजना चालू नहीं थी। स्थल निरीक्षण की तिथि तक 34 परियोजनाओं की एन.ओ.सी. का नवीनीकरण देय नहीं था।
कुल	**595**	**578**	**308**	**163**	**107**	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना परियोजनाओं की संख्या जिनमें अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
स्व-विनियमित क्षेत्र						
1. आंध्र प्रदेश	42	34	7	8	19	
2. चंडीगढ़ (सरकारी आदेश के माध्यम से)	14	0	0	0	0	
3. दिल्ली	60	0	0	0	0	
4. गोवा	40	0	0	0	0	
5. हिमाचल प्रदेश	40	0	0	0	0	
6. जम्मू एवं कश्मीर	40	0	0	0	0	
7. कर्नाटक	60	35	35	0	0	
8. केरल	40	0	0	0	0	कोई एन.ओ.सी. शर्त नहीं। किसी भी परियोजना द्वारा नहीं किया गया।
9. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	
10. पुडुचेरी (पी.जी.डब्ल्यू.ए.)	6	0	0	0	0	
11. तमिलनाडु (सरकारी आदेश के माध्यम से)	50	50	47	3	0	
12. तेलंगाना	40	39	20	0	19	
13. पश्चिम बंगाल	40	40	21	10	9	भूजल की परीक्षण रिपोर्ट की रासायनिक गुणवत्ता को एस.डब्ल्यू.आई.डी. कार्यालय को प्रस्तुत करना आवश्यक था। 9 परियोजनाओं में

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना परियोजनाओं की संख्या जिनमें अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
						नलकुप व संप वेल का निर्माण एवं स्थापना कार्य प्रारंभ नहीं हुआ।
कुल	**472**	**198**	**130**	**21**	**47**	
कुल योग	**1,067**	**776**	**438**	**184**	**154**	

(x) निर्धारित सीमा से अधिक वार्षिक भूजल की निकासी

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			उन परियोजनाओं की संख्या जो कि अधिक भूजल की निकासी कर रहे थे। (वार्षिक)	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
गैर-अधिसूचित क्षेत्र						
1. अरूणाचल प्रदेश	6	6	6	0	6	एन.ओ.सी. में उल्लिखित होने के बाद भी किसी भी फर्म द्वारा लॉग बुक का रखरखाव नहीं किया गया।
2. असम	50	50	0	17	33	एक उद्योग को बंद कर दिया गया था तथा 32

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			उन परियोजनाओं की संख्या जो कि अधिक भूजल की निकासी कर रहे थे। (वार्षिक)	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
						परियोजनाओं द्वारा लॉग बुग नही रखी गई थी।
3. बिहार	42	41	1	11	29	11 इकाईयों ने एक वर्ष पूर्ण नहीं किया था।
4. छत्तीसगढ़	50	50	0	22	28	
5. दादर एवं नगर हवेली	3	3	0	3	0	
6. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
7. गुजरात	42	42	9	30	3	एक परियोजना पूर्ण नहीं की गई।
8. हरियाणा	35	35	13	22	0	
9. झारखंड	20	16	0	4	12	
10. मध्य प्रदेश	50	50	0	13	37	
11. महाराष्ट्र	50	50	2	27	21	
12. मणिपुर	3	3	0	1	2	
13. मेघालय	4	4	0	0	4	
14. नागालैंड	3	3	1	1	1	मैसर्स ईस्थर बेवरेजेस बिना एन.ओ.सी. के नवीनीकरण के भूजल का निष्कर्षण कर रही थी। नागालैंड राज्य डेयरी सहकारी संघ लि. को बोरवेल का

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			उन परियोजनाओं की संख्या जो कि अधिक भूजल की निकासी कर रहे थे। (वार्षिक)	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
						निर्माण अभी भी पूरा करना था। अतः प्रस्तुत नहीं की जा सकी।
15. ओडिशा	50	49	0	11	38	तीन परियोजनाएँ अभी भी शुरु नहीं हो पायी थीं।
16. पंजाब	50	50	0	29	21	
17. राजस्थान	44	44	0	30	14	
18. त्रिपुरा	13	13	11	0	2	
19. उत्तर प्रदेश	40	40	1	24	15	एक उद्दयोग को बंद किया गया तथा 3 कार्यरत नहीं थे।
20. उत्तराखंड	40	40	8	30	2	एक परियोजना कार्यरत नहीं थी।
कुल	**595**	**589**	**46**	**275**	**268**	
अधिसूचित क्षेत्र						
1. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
2. गुजरात	0	0	0	0	0	
3. हरियाणा	30	18	14	2	2	
4. मध्य प्रदेश	48	0	0	0	0	
5. पंजाब	36	25	1	6	18	
6. राजस्थान	95	0	0	0	0	
7. उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	
8. तमिलनाडु	2	0	0	0	0	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			उन परियोजनाओं की संख्या जो कि अधिक भूजल की निकासी कर रहे थे। (वार्षिक)	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
9. पश्चिम बंगाल	10	10	0	1	9	एक परियोजना निर्मित नहीं थी। एक परियोजना स्थल निरीक्षण के दौरान पाई नहीं गई।
कुल	**221**	**53**	**15**	**9**	**29**	
स्व-विनियमित राज्य						
1. आंध्र प्रदेश	42	18	0	0	18	
2. चंडीगढ़ (सरकारी आदेश के माध्यम से)	14	0	0	0	0	
3. दिल्ली	60	0	0	0	0	
4. गोवा	40	0	0	0	0	हालांकि दैनिक भूजल निष्कर्षण की शर्त थी पर 40 में से 24 परियोजनाओं ने उसका पालन नहीं किया।
5. हिमाचल प्रदेश	40	0	0	0	0	
6. जम्मू एवं कश्मीर	40	40	0	12	28	
7. कर्नाटक	60	12	0	3	9	
8. केरल	40	40	0	12	28	फ्लो मीटर रीडिंग और लॉगबुक रीडिंग में असमानताएँ

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			उन परियोजनाओं की संख्या जो कि अधिक भूजल की निकासी कर रहे थे। (वार्षिक)	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
						थीं। पंप औप फ्लो मीटर के बीच की डिलेवरी लाइन जमीन के नीचे धंसी थी। उसी कुंए में बिना मीटर वाले और पंप स्थापित किए गए थे।
9. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	
10. पुडुचेरी (पी.जी.डब्ल्यू.ए.)	6	0	0	0	0	पी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा जारी किए गए परमिट में निकासी की वार्षिक मात्रा तय नहीं है।
11. तमिलनाडु (सरकारी आदेश के माध्यम से)	50	0	0	0	0	
12. तेलंगाना	40	0	0	0	0	
13. पश्चिम बंगाल	40	35	0	9	26	चार परियोजनाओं में परियोजना शुरू नहीं की गई थी; एक परियोजना में एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं किया

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			उन परियोजनाओं की संख्या जो कि अधिक भूजल की निकासी कर रहे थे। (वार्षिक)	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
						गया था। (लॉग बुक के गैर रखरखाव के अभाव में)
कुल	**472**	**145**	**0**	**36**	**109**	
कुल योग	**1,288**	**787**	**61**	**320**	**406**	

(xi) एस.टी.पी./ई.टी.पी. की स्थापना

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना परियोजनाओं की संख्या जिन्होने पर्याप्त उपचार के बाद अपशिष्ट का उचित पुनचक्रण और पुनः उपयोग सुनिश्चित नहीं किया।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
गैर-अधिसूचित क्षेत्र						
1. अरूणाचल प्रदेश	6	6	3	3	0	
2. असम	50	50	27	22	1	
3. बिहार	42	42	20	18	4	3 इकाईयाँ निर्माणाधीन थी।
4. छत्तीसगढ़	50	50	25	25	0	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना परियोजनाओं की संख्या जिन्होने पर्याप्त उपचार के बाद अपशिष्ट का उचित पुनचक्रण और पुनः उपयोग सुनिश्चित नहीं किया।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
5. दादर एवं नगर हवेली	3	3	0	3	0	
6. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	
7. गुजरात	42	41	4	31	6	एक परियोजना अभी भी पूर्ण नहीं हुई थी।
8. हरियाणा	35	33	18	11	4	
9. झारखंड	20	20	3	10	7	7 परियोजनाएँ अभी भी शुरू की जानीं थीं।
10. मध्य प्रदेश	50	50	14	33	3	
11. महाराष्ट्र	50	50	3	47	0	
12. मणिपुर	3	0	0	0	0	
13. मेघालय	4	4	4	0	0	
14. नागालैंड	3	0	0	0	0	3 इकाईयों के संबंध में एन.ओ.सी. में उल्लिखित नहीं थी।
15. ओडिशा	50	50	31	16	3	
16. पंजाब	50	50	16	32	2	
17. राजस्थान	44	44	18	26	0	

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			नमूना परियोजनाओं की संख्या जिन्होने पर्याप्त उपचार के बाद अपशिष्ट का उचित पुनचक्रण और पुनः उपयोग सुनिश्चित नहीं किया।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
18. त्रिपुरा	13	13	11	0	2	
19. उत्तर प्रदेश	40	40	9	27	4	एक परियोजना को सील किया गया तथा 3 परियोजना कार्यरत नहीं थी।
20. उत्तराखंड	40	40	10	30	0	
कुल	**595**	**586**	**216**	**334**	**36**	
स्व-विनियमित क्षेत्र						
1. आंध्र प्रदेश	42	35	1	16	18	
2. चंडीगढ़ (सरकारी आदेश के माध्यम से)	14	0	0	0	0	
3. दिल्ली	60	0	0	0	0	
4. गोवा	40	0	0	0	0	
5. हिमाचल प्रदेश	40	0	0	0	0	
6. जम्मू एवं कश्मीर	40	0	0	0	0	
7. कर्नाटक	60	5	0	5	0	
8. केरल	40	0	0	0	0	पुर्नचक्रण और पुर्नउपयोग से संबंधित, एन.ओ.सी.

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या**	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी**	**उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी**			
			नमूना परियोजनाओं की संख्या जिन्होने पर्याप्त उपचार के बाद अपशिष्ट का उचित पुनचक्रण और पुनः उपयोग सुनिश्चित नहीं किया।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणियां, यदि कोई
						में कोई शर्त नहीं। किसी परियोजना द्वारा नहीं किया गया।
9. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	
10. पुडुचेरी (पी.जी.डब्ल्यू.ए.)	6	2	0	0	2	
11. तमिलनाडु (सरकारी आदेश के माध्यम से)	50	0	0	0	0	
12. तेलंगाना	40	37	16	4	17	
13. पश्चिम बंगाल	40	8	4	4	0	
कुल	472	87	21	29	37	
कुल योग	**1,067**	**673**	**237**	**363**	**73**	

अनुलग्नक 3.4 (पैरा 3.10.1 का संदर्भ लें)

अधिसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट शर्तों का उल्लंघन

(i) ट्यूबवेल/बोरवेल का व्यास

राज्य का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			परियोजनाओं की संख्या जहां बोरवेल/ट्यूबवेल के व्यास का आकार निर्धारित सीमा से अधिक था।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका	टिप्पणिया, यदि कोई
हरियाणा	30	26	8	16	2	
मध्य प्रदेश	48	43	30	10	3	
पंजाब	36	30	1	29	0	
राजस्थान	95	33	1	32	0	
दिल्ली	60	10	0	7	3	
तमिलनाडु	2	0	0	0	0	
पश्चिम बंगाल	10	10	0	8	2	एक परियोजना का निर्माण नहीं किया गया था। एक परियोजना निरीक्षण दौरे के दौरान नहीं मिली।
कुल	**281**	**152**	**40**	**102**	**10**	

(ii) पंप की क्षमता

राज्य का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी			
			परियोजनाओं की संख्या जहां पंप की क्षमता निर्धारित सीमा से अधिक थी।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका (आंशिक रूप से)	टिप्पणिया, यदि कोई
हरियाणा	30	26	8	16	2	
मध्य प्रदेश	48	43	31	6	6	
पंजाब	36	35	4	25	6	
राजस्थान	95	16	14	2	0	
तमिलनाडु	2	0	0	0	0	
पश्चिम बंगाल	10	10	0	8	2	एक परियोजना का निर्माण नहीं किया गया था। एक परियोजना निरीक्षण दौरे के दौरान नहीं मिली।
कुल	**221**	**130**	**57**	**57**	**16**	

(iii) सी.जी.डब्ल्यू.बी, आर.ओ. को भेजे जाने वाले संरचनाओं का गठन

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या**	**नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जहां शर्त निर्दिष्ट की गई थी**	**उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी**			
			परियोजनाओं की संख्या जहां संरचनाओं का गठन सी.जी.डब्ल्यू.बी. को नहीं भेजा गया।	एन.ओ.सी. शर्त का अनुपालन वाली नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षा में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका (आंशिक रूप से)	टिप्पणिया, यदि कोई
हरियाणा	30	30	25	2	3	
मध्य प्रदेश	48	0	0	0	0	
पंजाब	36	36	31	1	4	
राजस्थान	95	0	0	0	0	
दिल्ली	60	19	19	0	0	
पश्चिम बंगाल	10	0	0	0	0	कोई प्रावधान नहीं।
कुल	**279**	**85**	**75**	**3**	**7**	

अनुलग्नक 4.1 (पैरा 4.3.4 का संदर्भ लें)

परियोजनाएँ पूर्ण/बंद/रद्द

क्र.सं.	निविदा शीर्षक	कुंओं की संख्या निर्मित किए जाने वाले/वास्तव में निर्मित		वित्तीय प्रगति (करोड़ मे)		अनुबंध पर हस्ताक्षर की तिथि	मूल रूप से पूरा करने की लक्षित तिथि	पूरा होने की तिथि	विलंब
		खोजी कुंए प्रेक्षण	निगरानी कुंए	कुल	जारी राशि				
1.	हरियाणा में प्रेक्षण व निगरानी कुंओं के निर्माण के लिए निविदा	57/54	57/53	12.14	8.33	12.05.17	6.2.18	10.11.18	277
2.	राजस्थान में प्रेक्षण व निगरानी कुंओं के निर्माण के लिए निविदा। (पैकेज 3)	201/201	100/44	14.67	6.75	21.07.18	4.6.19	4.6.19	-
3.	बिहार के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में प्रेक्षण व निगरानी कुंओं के निर्माण के लिए निविदा।	40/19	5/1	9.84	3.78	-	4.3.18	13.9.19	558
4.	पश्चिम बंगाल के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में प्रेक्षण व निगरानी कुंओं के निर्माण के लिए निविदा।	67/67	6/6	-	-	25.04.17	19.1.18	15.4.18	86
5.	तमिलनाडु में प्रेक्षण व निगरानी कुंओं के निर्माण के लिए निविदा	213/192	179/115	22.27	13.43	-	7.8.18	15.3.19	220

क्र.सं.	निविदा शीर्षक	कुंओं की संख्या निर्मित किए जाने वाले/वास्तव में निर्मित		वित्तीय प्रगति (करोड़ मे)		अनुबंध पर हस्ताक्षर की तिथि	मूल रूप से पूरा करने की लक्षित तिथि	पूरा होने की तिथि	विलंब
		खोजी कुंए प्रेक्षण	निगरानी कुंए	कुल	जारी राशि				
6.	कर्नाटक में प्रेक्षण व निगरानी कुंओं के निर्माण के लिए निविदा।	342/342	140/126	16.34	14.29	26.02.2018	26.2.18	17.12.18	294
7.	वर्ष 2017-18 के लिए पंजाब, गाजीपुर (यू.पी.) में डेटा का निर्माण	97/97	27/27	32.23	26.81	(सितंबर 2017)	31.7.18	31.3.19	243
8.	राजस्थान में प्रेक्षण व निगरानी कुंओं के निर्माण के लिए निविदा (पैकेज-2) मंत्रालय द्वारा परियोजना बंद कर दी गई।	101/86	50/21	5.34	3.67	24.04.17	19.1.18	22.02.2016 को बंद	-
9.	झारखंड के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में प्रेक्षण व निगरानी कुओं का निर्माण के लिए निविदा।	40/5	9/0	3.76	0	02.05.17	22.1.18	अनुबंध रद्द करने के बाद जब्त की गई निष्पादन गारंटी।	-

जारी परियोजनाएँ

क्र.सं.	निविदा शीर्षक	कुंओं की संख्या निर्मित किए जाने वाले/वास्तव में निर्मित		वित्तीय प्रगति (करोड मे)		अनुबंध पर हस्ताक्षर की तिथि	मूल रूप से पूरा होने की लक्षित तिथि	नवंबर 2019 तक की देरी
		खोजी कुंए प्रेक्षण	निगरानी कुंए	कुल	जारी राशि			
1.	राजस्थान में प्रेक्षण व निगरानी कुंओं के निर्माण के लिए निविदा (पैकेज-4)	146/128	103/91	38.12	30.14	19.04.17	14.3.18	626
2.	तेलंगाना में प्रेक्षण व निगरानी कुओं के निर्माण के लिए निविदा	206/191	34/33	5.01	3.03	30.11.18	30.8.19	92
3.	गुजरात में प्रेक्षण व निगरानी कुंओं के निर्माण के लिए निविदा	227/66	94/16	45.87	9.69	20.06.17	17.3.18	623
4.	बुंदेलखंड के 11 जिलों (ललितपुर और झाँसी के अलावा) में पानी के नमूनों की रासायनिक जांच, प्रेक्षण ड्रिलिंग व भूभौतिकीय जांच के लिए निविदा	356/141	158/25	28.89	5.21	25.01.18	20.9.18	436
5.	भारत[80] के 13 राज्यों में एक्विफर मैपिंग के लिए जल भूगर्भीय डेटा उत्पादन के लिए वैपकोस परियोजना (खोजपूर्ण कुओं और वेधशाला कुंओं की ड्रिलिंग, निर्माण और पंपिंग परीक्षण) लेखापरीक्षा में 4 अनुबंधों का चयन किया गया।							
	पश्चिम बंगाल	114/105	60/54	24.72	24.08	सितंबर 2017	31.7.18	487
	आंध्र प्रदेश	107/63	57/39	19.12	11.49			
	तमिलनाडु	92/90	46/19	4.50	3.38			
	उत्तर प्रदेश	114/114	114/114	30.96	30.31			

[80] साइट का चयन 60 दिनों के अंदर किया जाना था और सभी 2,169 साइटों को उपलब्ध कराया जाना था। हालांकि, सी.जी.डब्ल्यू.बी. मार्च 2019 तक केवल 1680 साइटों को वैपकोस/ठेकेदारों को सौपने में सक्षम था।

अनुलग्नक 4.2 (पैरा 4.3.7 का संदर्भ लें)

एक्विफर प्रबंधन रिपोर्ट पर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/कें.शा.प्र.	ब्लॉक/जिले जिनके लिए एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट तैयार की जाती है और वेबसाइट पर डाली जाती है।	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	आंध्र प्रदेश	अंनतपुरा, चित्तूर, पश्चिम गोदावरी (भाग)	जी.डब्ल्यू. एवं डब्लयू.ए.डी. ने सूचित किया है कि उसने जल संरक्षण गतिविधि जैसे टैंकों की गाद निकालने, चेक बांधों के निर्माण आदि को शुरू किया है। इन परियोजनाओं में रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों पर विचार किया गया है।
2.	अरूणाचल प्रदेश	पापम पारे व पूर्वी कमेंग के भाग	रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
3.	असम	तखीमपुर (भाग), कर्बी आंगलॉग (भाग) ढेमाजी (भाग)	हालांकि राज्य भूजल समन्वय समिति का गठन 2013 में असम सरकार द्वारा पहले की किया जा चुका था लेकिन रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
4.	बिहार	भोजपुर (भाग), वैशाली (भाग), बेगूसराय (भाग)	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट में सुझाए गए विचारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
5.	छत्तीसगढ़	कोरबा (भाग), रायगढ़ (भाग), बलोद (भाग)	राज्य सरकार ने तीन नमूना एक्विफर मैपिंग प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। डी.ओ.डब्ल्यू.आर.,आर.डी. एवं जी.आर. ने सूचित किया (अक्टूबर 2019) कि सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने छत्तीसगढ़ सरकार के 'नरूआ गरूआ बुटवा बारी' पर परियोजना की तैयारी में एक्विफर मैपिंग डेटा को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को 15 ब्लॉक-वार एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट प्रदान की थी (2019 में)। हालांकि, जवाब कार्यान्वयन के बारे में चुप था।
6.	दादर एवं नगर हवेली	डी. एवं एन.एच	सी.जी.डब्ल्यू.बी. के सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

क्र.सं.	राज्य/कें.शा.प्र.	ब्लॉक/जिले जिनके लिए एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट तैयार की जाती है और वेबसाइट पर डाली जाती है।	लेखापरीक्षा अवलोकन
7.	दिल्ली	सभी तहसीलें	दिल्ली से संबंधित एन.ए.क्यू.यू.आई.एम. की केवल एक रिपोर्ट सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा तैयार की गई थी। प्रधान सचिव (यू.डी.) की अध्यक्षता में एस.जी.डब्ल्यू.सी.सी. की चौथी बैठक में एन.ए.क्यू.यू.आई.एम. की रिपोर्ट की सराहना की गई और यह निर्णय लिया गया कि डी.जे.बी. उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पानी की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा और तद्नुसार योजनाएँ तैयार की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि डी.जे.बी. दूषित क्षेत्रों से पानी नहीं खींचेगा। भूजल के विलवणीकरण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। आगे की कार्रवाई का इंतजार था।
8.	गुजरात	जूनागढ़, पोरबंदर	एस.जी.डब्ल्यू.सी.सी. द्वारा रिपोर्ट अनुमोदित की जानी बाकी थी।
9.	हरियाणा	सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, कुरूक्षेत्र	रिपोर्ट को भूजल प्रकोष्ठ, हरियाणा के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साझा किया गया और कृत्रिम पुनर्भरण, भूजल संसाधनों के आंकलन, और राज्य में एक्विफर के विवरण की पहचान की गई। गुणवत्ता मात्रा के लिए चिन्हित स्थान का उपयोग किया गया। हालांकि रिपोर्ट में सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं था।
10.	जम्मू एवं कश्मीर	कश्मीर घाटी, अनंतनाग जिले के भाग, बडगाम, बारामुला	एन.ए.क्यू.यू.आई.एम. अध्ययन की सिफारिशों के अनुसार प्रायोगिक आधार पर कंडी क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण के लिए रणवीर नहर के तल में 1-2 पुनर्भरण बोरवेल लगाने का निर्णय लिया गया। लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
11.	झारखंड	रांची (भाग), रामगढ़ धनबाद (भाग)	मई 2015 व मार्च 2016 में आयोजित एस.जी.डब्ल्यू.सी.सी. बैठकों के दौरान राज्य

क्र.सं.	राज्य/कें.शा.प्र.	ब्लॉक/जिले जिनके लिए एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट तैयार की जाती है और वेबसाइट पर डाली जाती है।	लेखापरीक्षा अवलोकन
			सरकार के साथ सिफारिशों को साझा किया गया। हालांकि रिपोर्ट में राज्य द्वारा आगे की कार्रवाई का जिक्र नहीं था।
12.	कर्नाटक	चिकबल्पुर, टुमकुर, (भाग), कोलार	कर्नाटक में एक्विफर मैपिंग और प्रबंधन रिपोर्ट को निम्न कमियां के कारण प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका। • सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा प्रस्तुत ए.एम.पी. रिपोर्ट पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन फार्म में है और पायलट बेसिन रिपोर्ट और कोलार रिपोर्ट को छोड़कर पूरी रिपोर्ट के रूप में नहीं है। • क्षेत्र में रिपोर्टों को लागू करने हेतु केंद्र सरकार या सी.जी.डब्ल्यू.बी. से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। • नक्शा पैमाना बहुत छोटा था। स्थान का ठीक-ठीक पता लगाना मुश्किल था। सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने बताया कि स्थानों को बिना फील्ड जांच के मानचित्र पर स्थानो को चिन्हित किया गया और जी.डब्ल्यू.डी. अधिकारी क्षेत्र में अच्छे हैं और अपने दम पर उपयुक्त स्थलों का पता लगा सकते हैं। • स्टाफ की कमी और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभाग के पास कोई बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण जी.डब्ल्यू.डी. के लिए इस तरह की विस्तृत फील्ड जांच करना कठिन बताया गया।

क्र.सं.	राज्य/कें.शा.प्र.	ब्लॉक/जिले जिनके लिए एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट तैयार की जाती है और वेबसाइट पर डाली जाती है।	लेखापरीक्षा अवलोकन
13.	केरल	अलैपोझा, एर्नाकुलम (भाग), त्रिचूर (भाग)	सचिव, जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) ने कहा कि विभाग राज्य में भूजल प्रबंधन योजनाओं को लागू करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। विभाग, राज्य में भूजल प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के लिए सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा तैयार एक्विफर मानचित्रों का प्रयोग करता है। हालांकि, इस संबध में सी.जी.डब्ल्यू.बी. की रिपोर्टों में अनुशंसित भूजल प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार से अलग से वित्त पोषण प्रदान, नहीं किया जाता। विभाग ने कहा कि (अक्टूबर 2019) राज्य सरकार इन रिपोर्टों का उपयोग अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट 'हरिता केरलम' में करती है, जो राज्य की जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को प्राप्त करने का एक प्रयास है।
14.	मध्य प्रदेश	उज्जैन, देवास, सागर	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद सी.जी.डब्ल्यू.बी. के तकनीकी मार्गदर्शन में जल संकट ग्रस्त ब्लॉक बडनगर, उज्जैन जिले में प्रस्तावित जल संरक्षण और कृत्रिम रिचार्ज हस्तक्षेपो को लागू कर रहा था। ये हस्तक्षेप सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वार तैयार उज्जैन जिले के एक्विफर मैपिंग और प्रबंध योजना के आधार पर प्रस्तावित हैं। इस परियोजना में बड़नगर ब्लॉक के चमाला और चंबल वाटरशेड में पड़ने वाले 1,055.10 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के 150 गांव शामिल हैं। बड़नगर ब्लॉक में अब तक कुल 79 ढांचों का निर्माण किया जा चुका है।

क्र.सं.	राज्य/कें.शा.प्र.	ब्लॉक/जिले जिनके लिए एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट तैयार की जाती है और वेबसाइट पर डाली जाती है।	लेखापरीक्षा अवलोकन
15.	महाराष्ट्र	अहमदनगर (भाग), बुल्ढाना (भाग), जलगांव (भाग)	तीन एक्विफर मैपिंग प्रतिवेदनों पर राज्य सरकार द्वारा निम्न कारणों से कार्रवाई नहीं की गई। • एक्विफर मानचित्र 1:50,000 के पैमाने पर उपलब्ध कराए गए थे जो कि एक व्यापक पैमाना था। • जल संरक्षण ढांचों जैसे कि रिसाव टैंक, पुनर्भरण शाफ्ट, चेक डैम की संख्या का सुझाव दिया, गया था। हालांकि वास्तविक क्षेत्र स्थान नहीं दिए गए थे। • प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, 2013-18 के दौरान सी.जी.डब्ल्यू.बी. नागपुर या केंद्र सरकार की ओर से बजटीय प्रावधान नहीं था।
16.	मणिपुर	पश्चिम इंफाल (भाग)	रिपोर्ट में वर्णित सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
17.	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, रि-भोई	तीन नमूना एक्विफर मैपिंग रिपोर्टों पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
18.	नागालैंड	दीमापुर (भाग)	सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
19.	उड़ीसा	भद्रक, बलासौर, अंगुल (भाग)	मई 2016 में एस.जी.डब्ल्यू.सी.सी. की एक बैठक हुई थी। राज्य सरकार (भूजल विकास निदेशालय, ओडिशा, भुवनेश्वर) ने सिफारिश पर कार्यान्वयन के लिए तीन नमूना एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की।
20.	पंजाब	गुरूदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर	लेखापरीक्षा ने पाया कि 4 चयनित जिलो में से तीन जिलों (गुरूदासपुर, लुधियाना और संगरूर) में एक्विफर मैपिंग और प्रबंधन योजना (2016)

क्र.सं.	राज्य/कें.शा.प्र.	ब्लॉक/जिले जिनके लिए एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट तैयार की जाती है और वेबसाइट पर डाली जाती है।	लेखापरीक्षा अवलोकन
			पर मसौदा रिपोर्ट में, भू भौतिकीय और भू वैज्ञानिक डेटा पर जानकारी संकलित नहीं की गई थी और भूमि उपयोग पैटर्न का विश्लेषण भी नहीं किया गया था। संगरूप में भू रासायनिक डेटा का अनुपालन नहीं किया गया था। इस संबंध में सी.जी.डब्ल्यू.बी. का उत्तर अभी भी प्रतिक्षित है (मार्च 2019)।
21.	राजस्थान	अलवर, भीलवाडा, जयपुर	• अनुशंसा की गई कि परंपरागत सिंचाई के स्थान पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाए तथा फसल पद्धति को गेहूँ से चना में बदला जाए। • ग्राम सभा/रात्रि ग्राम चौपाल की बैठक के दौरान और अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाने और फसल पैटर्न गेहूँ से चना में बदलने की सलाह दी गई थी।
22.	तमिलनाडु	अमरावती, भवानी, चैन्नई, उपरी पोन्नायर, तिरूपुर (भाग)	चयनित पांच एन.ए.क्यू.यू.आई.एम. रिपोर्टों में से, राज्य ने दो मामलों में आंशिक कार्रवाई थी। डब्ल्यू.आर.ओ. विभाग में चैन्नई एक्विफर सिस्टम और अपर पोन्नायर बेसिन में फील्ड सत्यापन और भूभौतिक सर्वेक्षण के बाद अनुशंसित साइटों पर कृत्रिम रिचार्ज संरचना के निर्माण को प्राथमिकता देने के लिए योजना निर्माण विंग को निर्देश दिया।
23.	तेलंगाना	नलगोंडा, निजामाबाद जिला	सरकार द्वारा दो नमूना रिपोर्टों पर की गई कारवाई का विवरण ग्रामीण विकास विभाग के कमिश्नर से प्राप्त होना बाकी था।

क्र.सं.	राज्य/कें.शा.प्र.	ब्लॉक/जिले जिनके लिए एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट तैयार की जाती है और वेबसाइट पर डाली जाती है।	लेखापरीक्षा अवलोकन
24.	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा (भाग)	दक्षिण त्रिपुरा जिले के भागों के लिए केवल एक एक्विफर प्रबंधन योजना थी। रिपोर्ट में 4 सुझाव दिए गए थे जिन्हें आंशिक रूप से लागू किया गया था।
25.	उत्तर प्रदेश	मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फर नगर	उत्तर प्रदेश सरकार भूजल समस्या वाले उत्तर प्रदेश के निन्हित क्षेत्रों में राज्य भूजल मिशन लागू कर रही है। मिशन ने भूजल संसाधनों पर व्यापक अध्ययन करने और क्षेत्रवार सूक्ष्म नियोजक के आधार पर जल संरक्षण और प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों को एकीकृत रूप से लागू करने की परिकल्पना की थी। डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर. ने सूचित किया (अक्टूबर 2019) कि भूजल विभाग उत्तर प्रदेश ने उपरोक्त उद्देश्य हेतु योजना तैयार करने में सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा किए गए एक्विफर मैपिंग का उपयोग किया था। हालांकि विशिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
26.	उत्तराखंड	हरिद्वार, उधम सिहं नगर (भाग)	राज्य स्तरी भूजल समन्वय समिति (एस.एल.जी.डब्ल्यू.सी.सी.) के निर्णय पर राज्य सरकार द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। राज्य सरकार को एस.एल.जी.डब्ल्यू.सी.सी. की अनुशंसाओं तथा उन पर कार्रवाई के बारे में कोई सूचना नहीं थी।
27.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद (भाग), नादिया (भाग), नार्थ 24 परगना (भाग)	प्रबंधन योजना के कार्यावन्यन के संबंध में समिति द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई।

अनुलग्नक 4.3 (पैरा 4.5.1 का संदर्भ लें)

उपकरणों व सॉफ्टवेयर का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं.सं.	खरीदे जाने वाले उपकरण सॉफ्टवेयर रिग आदि का विवरण	खरीदी जाने वाली वस्तुओं की संख्या	आवंटित राशि	खरीदी गई वस्तुओं की संख्या	व्यय (2012-19)
1	हाइड्रोलॉजिकल उपकरण	3,560	52.05	शून्य	शन्यू
2	वैज्ञानिक उपकरण (रासायनिक और भूभौतिकीय)	875	58.94	407	15.51
3	वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर	503	12.36	67	4.8
4	ड्रिलिंग उपकरण	55	181.82	40	87.57
		कुल	**305.17**		**107.85**

अनुलग्नक 5.1 (पैरा 5.2.1 का संदर्भ लें)

भूजल निष्कर्षण के उच्च स्तर वाले जिले

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल जिलों की संख्या	70 प्रतिशत से अधिक एस.ओ.ई. वाले जिलों की संख्या	70 प्रतिशत से अधिक एस.ओ.ई. वाले जिलों का प्रतिशत	एस.ओ.ई. की सीमा प्रतिशत में
1	आंध्र प्रदेश	13	1	8	89
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	3	0	0	-
3	अरूणाचल प्रदेश	16	0	0	-
4	असम	28	0	0	
5	बिहार	38	2	5	73 से 96
6	चंडीगढ	1	1	100	89
7	छत्तीसगढ़	27	2	7	78 से 83
8	दादर एवं नगर हवेली	1	0	0	-
9	दमन एवं दीव	2	1	50	91
10	दिल्ली	12	10	83	84 से 255
11	गोवा	2	0	0	-
12	गुजरात	33	7	21	72 से 115
13	हरियाणा	22	19	86	91 से 244
14	हिमाचल प्रदेश	8	5	63	76 से 385
15	जम्मू एवं कश्मीर	22	0	0	-
16	झारखंड	24	2	8	71 से 76
17	कर्नाटक	33	12	36	76 से 211
18	केरल	14	1	7	80
19	लक्षद्वीप	9	3	33	74 से 83
20	मध्य प्रदेश	51	10	20	73 से 127
21	महाराष्ट्र	34	7	21	72 से 88
22	मणिपुर	10	0	0	-
23	मेघालय	11	0	0	-
24	मिजोरम	8	0	0	-
25	नागालैंड	11	0	0	-
26	ओडीशा	30	0	0	-
27	पुडुचेरी	3	1	33	102

क्रं.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल जिलों की संख्या	70 प्रतिशत से अधिक एस.ओ.ई. वाले जिलों की संख्या	70 प्रतिशत से अधिक एस.ओ.ई. वाले जिलों का प्रतिशत	एस.ओ.ई. की सीमा प्रतिशत में
28	पंजाब	22	22	100	74 से 260
29	राजस्थान	33	29	88	84 से 293
30	सिक्किम	4	0	0	-
31	तमिलनाडु	32	19	59	75 से 172
32	तेलंगाना	31	14	45	71 से 341
33	त्रिपुरा	8	0	0	-
34	उत्तर प्रदेश	75	32	43	71 से 128
35	उत्तराखंड	4	0	0	-
36	पश्चिम बंगाल	17	2	12	87 से 92
	कुल	**692**	**202**	**29**	